सभी केरल वितरक संघ, कोट्टायम

इकाई, इसके सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया

वी.

केरल और ए. एन. आर. का राज्य।

(2009 की सिविल अपील सं. 4502)

27 जुलाई, 2022

[ए. एम. खानविलकर, अभय एस. ओका और

सी. टी. रविकुमार, जेजे।]

केरल मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1976 4 (7) , 4 (8) , 15 – केरल मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005-केरल मोटर परिवहन कर्मचारी कल्याण निधि अधिनियम, 1985 - धारा 8 ए-मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस. एस. की संवैधानिक वैधता को चुनौती। 4 (7) , 4 (8) , 15 , 1976 अधिनियम और एस। 8 ए, 1985 अधिनियम-आयोजितः 1988 के अधिनियम में वाहन कर लगाने और उसके संग्रह के तरीके के क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है-यह राज्य विधानों द्वारा कवर किया गया है-राज्य विधानों की योजना को ध्यान में रखते हुए, यह समझ से बाहर है कि

इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि दो प्रावधान (एक ओर 1988 के अधिनियम और दूसरी ओर 1976 के अधिनियम और 1985 के अधिनियम) किसी भी तरह से असंगत हैं-राज्य के अधिनियम पूरक हैं और केंद्रीय विधानों की अवज्ञा किए बिना प्रभावी किए जा सकते हैं-न तो 1985 के अधिनियम या 1976 के अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव जारी किए गए परमिट को बाधित करने का है।

1988 के अधिनियम के तहत-इन प्रावधानों के पीछे वास्तविक इरादा और उद्देश्य 1988 के अधिनियम में बताए गए जनादेश को दोहराना है कि वाहन का उपयोग वैध परमिट और भुगतान के बिना सड़क पर नहीं किया जा सकता है।

अब तक के वाहन कर-राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित 1976 के अधिनियम और 1985 के अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि वाहन का मालिक/परमिट धारक राज्य अधिनियमों के तहत देय कल्याण निधि योगदान या वाहन कर दोनों के बकाया में न रहे-ये प्रावधान किसी भी तरह से इस प्रकार नहीं हैं -

संसद (1988 अधिनियम) द्वारा बनाए गए कानून के साथ टकराव-राज्य अधिनियम इस संबंध में कोई नया दायित्व या दायित्व पैदा नहीं करते हैं।

1988 के अधिनियम (केंद्रीय विधान) के तहत जारी परमिट के लिए, लेकिन यह

कल्याण निधि योगदान के साथ-साथ उसी वाहन मालिक/परमिट धारक द्वारा देय वाहन कर का समय पर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए वितरण का प्रावधान-संशोधित प्रावधानों की वैधता के बारे में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा लिया गया रुख संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल है।

[2022] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का संविधान तिरस्कार का परीक्षण-चर्चा की गई।

केरल मोटर परिवहन कर्मचारी कल्याण निधि अधिनियम, 1985-चर्चा का उद्देश्य।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

आयोजित किया गयाः 1.1 इस अधिनियम ने पूर्ववर्ती मोटर को निरस्त कर दिया था।

वाहन अधिनियम, 1939। संसद ने स्पष्ट रूप से सूची III-समवर्ती सूची में प्रविष्टि 35 के संदर्भ में 1988 का अधिनियम अधिनियमित किया है जो उन सिद्धांतों सहित यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों से संबंधित है जिन पर ऐसे वाहनों पर कर लगाया जाना है।

विशेष रूप से, 1988 के अधिनियम में 1988 के अधिनियम की धारा 71 के अनुसार स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया का प्रावधान है। प्राधिकरण एक मंच गाड़ी के अनुदान के लिए एक आवेदन पर विचार करते हुए परमिट 1988 के अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है जिसमें एक स्टेज कैरिज ऑपरेटर के रूप में आवेदक के संतोषजनक प्रदर्शन और कर का भुगतान [धारा 71 (3) (डी) (ii)] शामिल है। विषय-वस्तु पर विचार करने के लिए अन्य प्रासंगिक प्रावधान

इस अपील की धारा 81 परमिट की अवधि और नवीनीकरण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट पांच साल की अवधि के लिए जारी या नवीनीकरण की तारीख से प्रभावी होगा। उप के लिए परंतुक धारा (1) में परिकल्पना की गई है कि जहां धारा 88 की उप-धारा (1) के तहत परमिट पर प्रति-हस्ताक्षर किए गए हैं, वहां ऐसा प्रति-हस्ताक्षर ऐसी अवधि के लिए नवीनीकरण के बिना प्रभावी रहेगा ताकि -

प्राथमिक परमिट की वैधता के साथ समन्वय करें। यह न्यायालय वर्तमान मामले में परंतुक के प्रभाव से संबंधित नहीं है। परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने की प्राधिकरण की शक्ति से संबंधित प्रासंगिक उप-धारा धारा 81 की उप-धारा (4) है। यह उन आधारों का प्रावधान करता है जिन पर परमिट के नवीनीकरण को अस्वीकार किया जा सकता है। इसमें ऐसे वाहन पर देय कर के भुगतान के बिना किसी भी वाहन को चलाना शामिल है; और अनधिकृत मार्ग। इन प्रावधानों के अलावा, 1988 के अधिनियम में वाहन कर लगाने या उसके संग्रह के तरीके से निपटने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, संसद द्वारा बनाया गया कानून वाहन कर लगाने और उसके संग्रह के तरीके के क्षेत्र में नहीं आता है। यदि ऐसा है, तो यह मानना संभव नहीं है कि दोनों प्रावधानों के बीच सीधा टकराव है, अर्थात्,

संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि।

सभी केरल वितरक ए. एस. एस. एन. , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य

इसके अलावा, वाहन कर लगाने और संग्रह के तरीके से संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विवादित प्रावधानों के विधायी इरादे और प्रभावकारिता का विश्लेषण करने पर।

अतः यह पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि (संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए) प्रत्येक कानून का पालन दूसरे की अवज्ञा किए बिना संभव है। न्यायालय राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की प्रभावशीलता पर थोड़ी देर बाद विचार करते हुए इस पहलू पर विस्तार से बताएगा। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि तिरस्कार के बारे में तर्क योग्यता से रहित है। [पैरा 34] [1003-सी-डी; 1004-ए-ई;

1005 - ए]

1.2 राज्य द्वारा अधिनियमित 1976 के अधिनियम के संबंध में

विधायिका, यह सूची II-राज्य सूची की प्रविष्टियों 56 और 57 के लिए भी उत्तरदायी है। प्रविष्टि 56 माल और यात्रियों पर करों से संबंधित है।

केरल राज्य में वाहन। इस अधिनियम की धारा 3 में कर लगाने का उल्लेख किया गया है। धारा 4 कर के भुगतान और लाइसेंस जारी करने से संबंधित है। रिट याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है 2005 के अधिनियम 24 के माध्यम से इस प्रावधान में उप-धारा (7) और (8) को सम्मिलित करते हुए किया गया संशोधन। इस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंजीकृत मालिक या व्यक्ति जिसका अधिकार या अधिकार है।

मोटर परिवहन के संबंध में मोटर वाहन का नियंत्रण

1985 के अधिनियम के तहत योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी उपक्रम, 1976 के अधिनियम के तहत वाहन कर का भुगतान करने से पहले, कराधान अधिकारी के समक्ष कल्याण कोष में योगदान की प्राप्ति की रसीद प्रस्तुत करेगा।

महीना और ऐसा करने में विफलता के लिए 1976 के अधिनियम के तहत वाहन कर एकत्र करने से इनकार करना होगा। इस प्रावधान के संदर्भ में,

यह आग्रह किया गया है कि इस तरह का प्रावधान दो अलग-अलग देनदारियों के बूटस्ट्रैपिंग की प्रकृति का है। धारा 8 आदेश [2022] 17 एस. सी. आर.

मोटर वाहन के कब्जे या नियंत्रण वाले प्रत्येक पंजीकृत मालिक या व्यक्ति द्वारा बीमा प्रमाण पत्र का उत्पादन। अनुभाग

9 मोटर वाहनों के स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण के लिए सफल व्यक्ति द्वारा वाहन कर का भुगतान करने के लिए देयता को तेज करता है। धारा 10

और 11 कुछ प्रासंगिक हैं। मान लीजिए, इन दोनों प्रावधानों की वैधता पर रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा हमला नहीं किया गया है और ऐसा करने में विफलता का उस दृष्टिकोण पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है जिसे हम लेने का प्रस्ताव करते हैं। 1976 के अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है कि यह राज्य में मोटर वाहन और ऐसे वाहन द्वारा ले जाए जाने वाले यात्रियों और वस्तुओं पर कर लगाने के लिए विशिष्ट है।

केरल। यह 1988 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी करने को विनियमित करने वाला कानून नहीं है। निर्विवाद रूप से, प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट को वाहन कर के नियमित भुगतान की शर्त सहित शर्तों के साथ सुरक्षित किया जाता है। धारा 15 के अनुरूप कर का भुगतान न करने के परिणामों का प्रावधान है -

1976 के अधिनियम की धारा 10 और 11। इस प्रकार समझा जाए तो दोनों प्रावधानों के बीच टकराव का कोई अवसर नहीं है

तिरस्कार। [पारस 35,36] [1005-बी-एफ; 1006-ए-जी, 1007-सी]

1.3 जहां तक दो अलग-अलग राज्य कानूनों के तहत परमिट धारक की देनदारियों के बूटस्ट्रैपिंग के संबंध में तर्क का संबंध है, यह कम से कम कमजोर है। समान करदाता द्वारा देय और देय कर के संग्रह के लिए शिक्षा उपकर आदि जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए शुल्कों को संयोजित करने के लिए विधानमंडल खुला है। यह है।

रिट याचिकाकर्ता 1985 के अधिनियम के तहत निर्धारित दायित्व के संबंध में अपील और संशोधन का उपाय करने का इरादा रख सकते हैं। इस तर्क को उच्च न्यायालय ने सही ही नकार दिया है। विवादित फैसले के पैराग्राफ 18 में कहा गया है कि संबंधित प्रावधानों के तहत पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है।

मांग की गई राशि का 50 प्रतिशत भेजकर अपील/संशोधन दायर करने के लिए अधिनियम। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए

विवादित निर्णय के अनुच्छेद 19 को ध्यान में रखते हुए। 16.6.2007 पर एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पीड़ित व्यक्ति,

जो योगदान के 50 प्रतिशत के भुगतान पर अपील करना पसंद करते हैं।

, कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य

कल्याण निधि अधिनियम के तहत, उस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने और कर लगाने से पहले उस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने का हकदार है।

प्राधिकरण, वाहन कर को प्राधिकरण द्वारा योगदान के पूरे कल्याण कोष के भुगतान के बिना प्राप्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालय पहले ही इसी तरह का लाभ देने के निर्देश जारी कर चुका है उन मामलों में भी जहां निर्धारित समय के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर की जाती है। तथ्य यह है कि परमिट धारक के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है जो 1985 के अधिनियम के तहत उसके द्वारा प्राप्त मांग के खिलाफ उपचार करने का इरादा रखता है।

कल्याण कोष का योगदान। [पारस 37] [1007-डी-एच; 1008-ए]

अधिनियम, 1952 और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972। दूसरे शब्दों में, यह अधिनियम केरल राज्य में मोटर परिवहन श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अस्तित्व में आया। देय में बेशक, सरकार के संज्ञान में यह आया कि 1985 के अधिनियम में नियोक्ताओं से योगदान के निर्धारण और मूल्यांकन और विवादों के निर्णय आदि की प्रणाली में कुछ खामियां थीं, जिसके परिणामस्वरूप कल्याण निधि योगदान का नुकसान हुआ। इसमें, बस संचालकों ने फर्जी साझेदारी बनाकर और रिश्तेदारों को कर्मचारियों के रूप में दिखाकर बचाव किया ताकि वे बच सकें।

योगदान का भुगतान। एक अन्य उपकरण था [2022] 17 एस. सी. आर. को बदलते रहना।

कर्मचारी अक्सर। इस प्रकार, इस शरारत को रोकने के लिए, 2005 के अधिनियम 23 के माध्यम से 1985 के अधिनियम में एक संशोधन किया गया था, जिसमें योगदान तय करने में मनमानेपन को कम करना शामिल था। मोटर परिवहन श्रमिकों की गतिविधियाँ सीधे मोटर परिवहन वाहनों के उपयोग और संचालन से जुड़ी हुई हैं। उस संबंध में 1988 के अधिनियम के तहत जारी अनुमति। उक्त अधिनियम के तहत, वाहन मालिक यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि वाहन कर का नियमित रूप से भुगतान किया जाए। कानून स्पष्ट रूप से वाहन कर का भुगतान करने में विफलता के लिए मोटर परिवहन वाहन के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान करता है जिसमें परमिट के नवीनीकरण को अस्वीकार करना भी शामिल है। 1985 के अधिनियम में यह सुनिश्चित करने की प्रकृति है कि वाहन का मालिक/परमिट धारक दोनों देनदारियों का निर्वहन करता है और कल्याण कोष में योगदान करने में चूक नहीं करता है और साथ ही समय पर वाहन कर का भुगतान भी करता है। वाहन कर का भुगतान न करने से मोटर रुक सकती है।

(एक ओर 1988 के अधिनियम और दूसरी ओर 1976 के अधिनियम और 1985 के अधिनियम के) प्रावधान किसी भी तरह से असंगत हैं। जबकि, राज्य अधिनियम पूरक हैं और केंद्र की किसी भी अवज्ञा के बिना प्रभावी किए जा सकते हैं। कानून। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 1988 का अधिनियम इसमें शामिल नहीं है।

वाहन कर के उद्ग्रहण और उसके संग्रह की रीति का क्षेत्र। यही बात राज्य के विधानों में भी शामिल है। स्वीकार करते हुए, अपीलकर्ताओं ने 1976 के अधिनियम के तहत लगाए गए वाहन कर का भुगतान करने के साथ-साथ 1985 के अधिनियम के तहत श्रमिक कल्याण कोष में योगदान देने के अपने दायित्व पर विवाद नहीं किया है। इस प्रकार, मोटर परिवहन वाहन मालिकों/परमिट धारकों द्वारा इन अपीलों में वास्तविक शिकायत उन्हें वाहन कर के संग्रह के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में कल्याणकारी योगदान बकाया का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के बारे में है। हमें यह विचार रखने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे सभी केरल वितरक ए. एस. एस. एन. हैं।

, कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य

मोटर वाहन को रोकने और वाहन कर के भुगतान के बिना उपयोग या संचालित किए जाने पर उसे जब्त करने और हिरासत में लेने के लिए अधिनियम। जब अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है, तो अनिवार्य रूप से, जिस परिवहन वाहन के लिए परमिट लिया गया है, वह गैर-कानूनी कारणों से अनुपयोगी हो जाता है। वाहन कर का भुगतान। राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के तहत कल्याण निधि योगदान का भुगतान करने के साथ-साथ वाहन कर का भुगतान करने के लिए वाहन के मालिक/परमिट धारक का दायित्व उत्पन्न होता है। इस प्रकार, राज्य विधानमंडल में वाहन कर को स्वीकार करने से पहले बकाया कल्याण निधि योगदान का भुगतान करना अनिवार्य बनाने में कुछ भी गलत नहीं है जो देय हो गया था और

देय। मामले के इस दृष्टिकोण में, 1988 के अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के अभाव के कारण 1976 के अधिनियम की धारा 15 की वैधता के संबंध में तर्क पर विस्तार करना अनावश्यक होगा। [पारस 39,40] [1009-सी; 1010-ए-जी]

1.6 यह न्यायालय 1985 के अधिनियम को लागू करने के विधायी इरादे और प्रभावी संशोधन के बारे में अनजान नहीं हो सकता है। 2005 में। यह 1988 के अधिनियम के तहत जारी किए गए परमिट के अनुसार वाहन मालिकों/परमिट धारकों द्वारा किए गए वाणिज्यिक संचालन के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कल्याण निधि योगदान के भुगतान का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक लाभकारी कानून है, और ऐसे श्रमिकों तक पहुंचना है जो आमतौर पर असंगठित हैं और अनौपचारिक कार्यबल का हिस्सा हैं। न तो 1985 के अधिनियम या 1976 के अधिनियम के प्रावधानों का 1988 के अधिनियम के तहत जारी किए गए परमिट को बाधित करने का प्रभाव है। इन प्रावधानों के पीछे वास्तविक इरादा और उद्देश्य [2022] 17 एस. सी. आर. है।

1988 के अधिनियम में कहा गया है कि वाहन का उपयोग वैध परमिट और वाहन कर के भुगतान के बिना सड़क पर नहीं किया जा सकता है। एक प्राथमिकता के रूप में, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित 1976 के अधिनियम और 1985 के अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि वाहन का मालिक/परमिट धारक कल्याण निधि योगदान या राज्य अधिनियमों के तहत देय वाहन कर दोनों के बकाया में न रहे। ये प्रावधान किसी भी तरह से संसद (1988 अधिनियम) द्वारा बनाए गए कानून के विपरीत नहीं हैं। राज्य अधिनियम 1988 के अधिनियम (केंद्रीय कानून) के तहत जारी किए गए परमिट के संबंध में कोई नया दायित्व या दायित्व पैदा नहीं करते हैं, लेकिन इसमें कल्याण निधि योगदान के साथ-साथ उसी वाहन के मालिक/परमिट धारक द्वारा देय वाहन कर का समय पर संग्रह सुनिश्चित करने का प्रावधान है। रिट याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील के माध्यम से मौखिक तर्क के दौरान उचित रूप से स्वीकार किया था कि 2005 के संशोधन के बाद, इन सभी वर्षों से वे राज्य विधानों के तहत प्रदान की गई व्यवस्था का पालन कर रहे हैं।

अपवाद। इस मायने में चुनौती अकादमिक हो गई है। चाहे जो भी हो, हमने संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल संशोधित प्रावधानों की वैधता के संबंध में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा लिए गए रुख को नकार दिया है। [पारस 41,42] [1010 एच; 1011-ए-डी]

दीप चंद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

[1959] पूरक। 2 एस. सी. आर. 8-अनुसरण किया गया।

द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अन्र। बनाम एफ. एन. बालसारा ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 318 [1951] एस. सी. आर. 682, एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 898: [1979] 3 एससीआर 254, हरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम। एम. पी. और अन्य की स्थिति (2006) 8 एस. सी. सी. 613: [2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. 766, ज़वेरभाई अमैदास

बनाम। द स्टेट ऑफ बॉम्बे [1995] 1 एस. सी. आर. 799, च. टीका रामजी और अन्य। , आदि। बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। [1956] एस. सी. आर. 393, थिरुमुरुग किरुपानंद

वरियार थावथिरु सुंदरा स्वामीगल मेडिकल

शैक्षिक और धर्मार्थ न्यास बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य। (1996) 3 एससीसी 15: [1996] 2 एससीआर 422, कुलवंत कौर और अन्य। बनाम एल. आर. द्वारा गुरदियाल सिंह मान (मृत)। & ओआरएस। (2001) 4 एससीसी 262: [2001] 2 एससीआर 525, कैसर-आई हिंद प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम राष्ट्रीय वस्त्र निगम। (महाराष्ट्र उत्तर) लिमिटेड और अन्य। (2002) 8 एस. सी. सी 182:

सभी केरल वितरक ए. एस. एस. एन. , कोट्टायम इकाई, अपनी गोपनीयता का जवाब दें। वी. केरल राज्य

[2002] 2 पूरक। एस. सी. आर. 555, होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स

लिमिटेड और ओआरएस। बनाम बिहार राज्य और अन्य। (1983) 4 एससीसी 45

: [1983] 3 एस. सी. आर. 130, केरल राज्य और अन्य। बनाम मार।

एप्रैम कुरी कंपनी लिमिटेड और अन्न। (2012) 7 एससीसी

106 : [2012] 4 एस. सी. आर. 448, भारत संघ और अन्य। बनाम।

मोहनलाल लिकुमल पंजाबी और अन्य। (2004) 3 एससीसी 628:

ओडिशा और ओआरएस। बनाम प्रमोद कुमार साहू (2019) 10 एससीसी 674 , एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस एंड ओआरएस। बनाम यूनियन ऑफ

भारत और ओआरएस। (2004) 4 एससीसी 489: [2004] 3 एससीआर 534, धारप्पा बनाम बीजापुर कूप। दुग्ध उत्पादक समितियाँ

यूनियन लिमिटेड (2007) 9 एससीसी 109: [2007] 5 एससीआर 729,

अशोक कुमार उर्फ गोलू बनाम भारत संघ और अन्य।

(1991) 3 एससीसी 498: [1991] 2 एससीआर 858, तमिल राज्य

नाडू और ओआरएस। बनाम के. श्याम सुंदर और अन्य। (2011) 8 एससीसी

737 : [2011] 11 एस. सी. आर. 1094, अजय हसिया और अन्य। बनाम खालिद

मुजीब सेहरावर्दी और अन्य। (1981) 1 एससीसी 722: [1981] 2

एससीआर 79, सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास बनाम नथेला

संपथु चेट्टी और अन्न। एआईआर 1962 एससी 316: [1962]

एससीआर 786, न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सहायक

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, इलाहाबाद और अन्य। (1970)

2 एससीसी 820: [1971] 2 एस. सी. आर. 92-संदर्भित।

A.L.S.P.P.L. सुब्रमण्यन चेट्टियार बनाम। मुत्तुस्वामी

गौंदन एयर 1941 एफ. सी. 47, प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी

& ओआरएस। बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, खुलना एयर (34)

1947 पी. सी. 60-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1951] एससीआर 682

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[1979] 3 एससीआर 254

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[2006] 7 पूरक। एससीआर 766

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1959] पूरक। 2 एस. सी. आर 8

पीछा किया।

पै

रा 32

[1995] 1 एससीआर 799

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[1956] एससीआर 393

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[1996] 2 एससीआर 422

संदर्भित किया गया है

पैरा

33

[2001] 2 एससीआर 525

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 पूरक। एससीआर 555

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[1983] 3 एससीआर 130

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2012] 4 एससीआर 448

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2004] 2 एससीआर 468

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2004] 3 एससीआर 534

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2007] 5 एससीआर 729

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1991] 2 एससीआर 858

पैरा 18

संदर्भित किया गया है

[2011] 11 एससीआर 1094

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[1981] 2 एससीआर 79

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

[1962] एससीआर 786

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

[1971] 2 एससीआर 92

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.4502

2009 से।

उच्च न्यायालय के 30.07.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2006 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.9971 में एर्नाकुलम में केरल का।

के साथ

सिविल अपील Nos.878 और 2010 का 879। के. राधाकृष्णन, पी. एन. रवींद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिषेक कुमार, के.

परमेश्वर, एलेक्स जोसेफ, लिंटो के. बी., सोनाली एस. एस., प्रसाद हेगड़े, एस. बेगुरुप्रिया, एस. के. बोस, रंजीत के. सी., विकास कर गुप्ता, अविजीत भट्टाचार्जी, श्रीमती देबरती साधु, अब्राहम

मैथ्यूज, निशे राजन शोंकर, श्रीमती अनु के. जॉय, अलीम अनवर, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, सुश्री श्रुति जोस, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. इन अपीलों में संवैधानिक वैधता को चुनौती देना शामिल है

धारा 4 की उप-धाराएँ (7) और (8) [केरल मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से केरल मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 19762 में 1], 1976 के अधिनियम की धारा 15 और केरल मोटर परिवहन श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1985 की धारा 8 ए 3 2005 के अधिनियम 23 द्वारा जोड़ी गई।

संक्षेप में, "संशोधन अधिनियम" संक्षेप में, "1976 का अधिनियम"

3 संक्षेप में, "1985 अधिनियम" सभी केरल वितरक ए. एस. एस. एन.।

, कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

2. चुनौती का जोर इस आधार पर है कि राज्य विधानमंडल ने कल्याणकारी कानून में उल्लिखित संशोधनों के माध्यम से मोटर वाहनों के संचालन के लिए कर का भुगतान करने के दायित्व के साथ श्रमिक कल्याण कोष में योगदान करने के दायित्व को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। दूसरे शब्दों में, कल्याणकारी कानून 2005 के विवादित संशोधन अधिनियम द्वारा क्षतिपूर्ति कानून के साथ जुड़ा हुआ है और

एक साथ वे केंद्रीय कानून यानी मोटर वाहन अधिनियम, 19884 के प्रासंगिक प्रावधानों का काफी हद तक अतिक्रमण करते हैं और ओवरराइड करते हैं ताकि चरण और माल वहन संचालन को पंगु बनाया जा सके या 1988 के अधिनियम के तहत प्रदान किए गए परिवहन परमिट की प्रभावशीलता को कम किया जा सके।

प्रविष्टि 56 (सड़क या अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर) और प्रविष्टि 57 (वाहनों पर कर, चाहे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की सूची III की प्रविष्टि 35 के प्रावधानों के अधीन ट्रामकारों सहित सड़कों पर उपयोग के लिए उपयुक्त या नहीं। 1976 के अधिनियम की धारा 15

यह अभिधारणा है कि निर्धारित अवधि के भीतर परिवहन वाहन के संबंध में देय कर का भुगतान न करने से ऐसे वाहन के लिए परिवहन परमिट उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से उस समय तक अप्रभावी हो जाएगा जब तक कि कर का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है। केरल राज्य ने 1976 के अधिनियम के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी थी और इसे 25.3.1976 पर दिया गया था।

हालाँकि, नियत समय में, 1939 के अधिनियम को संसद द्वारा निरस्त कर दिया गया था और इसे 1988 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई थी मोटर वाहनों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना। यह अधिनियम (1988 का अधिनियम) संसद द्वारा सूची III की प्रविष्टि 35 (उन सिद्धांतों सहित यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहन जिन पर ऐसे वाहनों पर कर लगाया जाना है) के तहत अधिनियमित किया गया था। 1988 के अधिनियम का अध्याय 5 परिवहन वाहनों के नियंत्रण से संबंधित है, जिसमें क्षेत्रीय परिवहन की प्रक्रिया भी शामिल है।

परिवहन प्राधिकरण स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन और परमिट की अवधि और नवीनीकरण पर विचार कर रहा है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 1988 के अधिनियम में परिवहन परमिट के अनुदान, नियंत्रण और वैधता के सभी पहलुओं को पूरी तरह से शामिल किया गया था। इसके अलावा, केरल राज्य ने केंद्रीय अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य अधिनियम यानी 1976 अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं ली, जबकि मौजूदा राज्य अधिनियम और नए लागू किए गए 1988 अधिनियम के बीच विरोधाभास था।

4 संक्षेप में, "1988 का अधिनियम" या "केंद्रीय अधिनियम", जैसा भी मामला हो, संक्षेप में 5, "1939 का अधिनियम" [2022] 17 एस. सी. आर.

4. इसके अलावा, वर्ष 2005 में केरल राज्य में संशोधन किया गया।

1976 के अधिनियम और 1985 के अधिनियम ने इस प्रकार 1976 के अधिनियम में धारा 46 की उप-धारा (7) और (8) और 1985 के अधिनियम में धारा 8ए 7 को लागू किया। इन संशोधनों का प्रभाव प्राप्ति का उत्पादन अनिवार्य करने के लिए है

6 4. कर का भुगतान और लाइसेंस जारी करना। (1) धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत लगाए गए कर का भुगतान पंजीकृत मालिक द्वारा ऐसी अवधि के साथ और ऐसी तरीके से किया जाएगा जो निर्धारित की जाए या वह व्यक्ति जिसके पास अपनी पसंद के अनुसार एक चौथाई या वर्ष के लिए मोटर वाहन का कब्जा या नियंत्रण है, उसके द्वारा लिए जाने वाले त्रैमासिक या वार्षिक लाइसेंस पर।

बशर्ते कि बेड़े के मालिक के मामले में, सरकार यह निर्देश दे सकती है कि कर का भुगतान मासिक किश्तों में ऐसी तारीख से पहले, ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा, जो निर्देश में निर्दिष्ट किया जाए:

बशर्ते कि जहां मोटरसाइकिल के अलावा किसी अन्य मोटर वाहन के संबंध में देय कर (जिसमें मोटर स्कूटर और प्रणोदन के लिए संलग्नक के साथ साइकिल शामिल है) समान यांत्रिक शक्ति द्वारा) या अनुसूची की मद 1 और 2 में निर्दिष्ट तिपहिया या अनुसूची की मद 11 में निर्दिष्ट मोटर कार, एक वर्ष के लिए एक हजार पांच सौ रुपये से अधिक नहीं है, कर का भुगतान वार्षिक लाइसेंस पर वार्षिक रूप से किया जाएगा:

बशर्ते कि पंजीकृत मालिक, या मोटर वाहन का कब्जा या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति, अपनी पसंद के अनुसार, इसके तहत देय वार्षिक कर का भुगतान कर सकता है।

5 वर्ष तक की किसी भी अवधि के लिए अग्रिम में दूसरा परंतुक, ऐसी अवधि के लिए लाइसेंस पर। बशर्ते कि पंजीकृत स्वामी, या अनुसूची की मद 1 में निर्दिष्ट मोटर साइकिल (मोटर स्कूटर और साइकिल सहित, उसे यांत्रिक शक्ति से चलाने के लिए संलग्नक के साथ) का कब्जा या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति या अनुसूची की मद 2 में निर्दिष्ट माल या यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग नहीं किए जाने वाले तिपहिया (यांत्रिक शक्ति से इसे चलाने के लिए संलग्नक के साथ तिपहिया और साइकिल रिक्शा सहित) या उक्त अनुसूची की मद 11 में निर्दिष्ट मोटर कार उन वाहनों के संबंध में ऐसी अवधि के लिए लाइसेंस पर दो साल की अवधि के लिए अग्रिम कर का भुगतान करेगी।

बशर्ते कि एक पंजीकृत मालिक या व्यक्ति जो मोटर वाहनों के संबंध में दो साल की अवधि के लिए कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की क्रम संख्या 1 और 2 में निर्दिष्ट है।

अनुसूची अपनी पसंद से अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर दो वर्ष से अधिक की किसी भी अवधि के लिए अग्रिम कर का भुगतान कर सकती है:

बशर्ते कि अनुसूची की वस्तुओं 1,2,11 और 12 में निर्दिष्ट वाहनों के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी मालिक या व्यक्ति कर में किसी भी आवधिक वृद्धि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसके लिए उसने ऐसे वाहनों के लिए कर का भुगतान किया है।

बशर्ते कि कोई पंजीकृत स्वामी या पूर्ववर्ती परंतुक के तहत दो साल की अवधि के लिए कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, अपनी पसंद से, ऐसी अवधि के लिए लाइसेंस पर पांच साल या दस साल या पंद्रह साल की अवधि के लिए अग्रिम कर का भुगतान कर सकता है।

व्याख्याः - (1) वार्षिक लाइसेंस के लिए कर दो साल के लिए कर के चार गुना से अधिक नहीं होगा, लाइसेंस आठ गुना से अधिक नहीं होगा, 5 साल के लाइसेंस के लिए कर नहीं होगा।

बीस गुना से अधिक, 10 साल के लाइसेंस के लिए कर चालीस गुना से अधिक नहीं होगा और 15 साल के लाइसेंस के लिए कर साठ गुना से अधिक नहीं होगा, तिमाही लाइसेंस के लिए कर। (1ए) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक मोटर वाहन के संबंध में 'वर्ष', जिसके संबंध में उप धारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में वार्षिक लाइसेंस पर वार्षिक कर का भुगतान किया जाना है, का अर्थ उस तिमाही के पहले दिन से शुरू होने वाले बारह महीने की अवधि होगी जिसमें सभी केरल वितरक एएसएसएन करते हैं।

, कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

भुगतान करते समय कल्याण निधि योगदान का प्रेषण कराधान अधिकारी के समक्ष वाहन कर। इस संदर्भ में यह आग्रह किया जाता है कि

वाहन राज्य में पहले पंजीकृत किया गया है या है और ऐसे वाहन के संबंध में वार्षिक कर लाइसेंस तदनुसार लिया जाएगाः

बशर्ते कि यदि इस प्रकार गणना किए गए वर्ष के किसी भाग के लिए मोटर वाहन के संबंध में कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो उस वर्ष की शेष अवधि के लिए देय कर की गणना प्रत्येक कैलेंडर महीने या उसके हिस्से के लिए वार्षिक कर के एक-बारहवें हिस्से की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि किसी मोटर वाहन के मामले में जिसके संबंध में कर का भुगतान दूसरे परंतुक के अनुसरण में वार्षिक लाइसेंस पर वार्षिक रूप से किया जाना है।

धारा (1), ऐसे वाहन के संबंध में 1 अप्रैल 1985 से वर्ष के प्रारंभ तक की अवधि के लिए कर का भुगतान इस तरह किया जाएगा जैसे कि केरल मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986 अधिनियमित नहीं किया गया था। (2) एक वर्ष या उससे अधिक के लिए लाइसेंस के मामले में, कर के संबंध में ऐसी छूट, जो निर्धारित की जाए, दी जाएगी।

(3) जब कोई व्यक्ति संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा वाहन के राज्य में उपयोग के लिए उपयोग किए गए या रखे गए मोटर वाहन के संबंध में कर की राशि का भुगतान करता है।

कि ऐसे वाहन के संबंध में कोई कर देय नहीं है, कराधान अधिकारी

(क) ऐसे व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में लाइसेंस प्रदान करनाः और

(ख) यह दर्ज करें कि कर का भुगतान निर्दिष्ट अवधि के लिए किया गया है, या यह कि उस वाहन के संबंध में कोई कर देय नहीं है, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि मोटर वाहन के संबंध में कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, जिसे धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत कर के भुगतान से छूट दी गई है।

(4) धारा 3 के तहत कर के लिए उत्तरदायी किसी भी मोटर वाहन को राज्य में उपयोग के लिए तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि पंजीकृत मालिक या ऐसा व्यक्ति जिसका कब्जा या नियंत्रण न हो।

वाहन ने उस वाहन के संबंध में उप-धारा (3) के तहत कर लाइसेंस प्राप्त किया है। (5) राज्य में धारा 3 के तहत कर के लिए उत्तरदायी किसी भी मोटर वाहन का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उप धारा (3) के तहत प्राप्त वैध कर लाइसेंस निर्धारित तरीके से वाहन पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है। (6) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति किसी भी कर योग्य मोटर वाहन के कारण किसी भी अवधि के दौरान कर के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

जिसका सम्मान इसी अवधि के लिए पहले ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जा चुका है। (7) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केरल मोटर परिवहन कर्मचारी कल्याण निधि अधिनियम, 1985 (1985 का 21) के तहत योगदान देने के लिए उत्तरदायी मोटर परिवहन उपक्रम के संबंध में मोटर वाहन का कब्जा या नियंत्रण रखने वाला प्रत्येक पंजीकृत मालिक या

व्यक्ति, कराधान अधिकारी के समक्ष कर उत्पाद का भुगतान करने से पहले, कल्याण निधि के लिए पिछले महीने तक देय योगदान की प्राप्ति की प्राप्ति करेगा।

(8.) इस अधिनियम के तहत कोई कर तब तक नहीं वसूला जाएगा जब तक कि उप-धारा (7) में उल्लिखित कल्याण निधि के लिए योगदान के प्रेषण की रसीद प्रस्तुत नहीं की जाती है।

7 8 ए. कल्याण निधि अंशदान के प्रेषण की प्राप्ति का प्रस्तुतिकरण। तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्रत्येक पंजीकृत मालिक या व्यक्ति, जिसके पास मोटर परिवहन उपक्रम के संबंध में मोटर वाहन का कब्जा या नियंत्रण है, जो योगदान देने के लिए उत्तरदायी है (केरल ऑटोरिक्शा श्रमिक कल्याण निधि योजना, 1991 के प्रावधानों के तहत आने वाले ऑटोरिक्शा के अलावा), केरल मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1976 (1976 का 19) के तहत कर का भुगतान करते समय कराधान अधिकारी के समक्ष पिछले महीने तक निधि में योगदान की प्रेषण रसीद पेश करेगा।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य विधान द्वारा प्रभावी 2005 के संशोधन ने श्रमिकों के कल्याण में योगदान करने के दायित्व को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है।

मोटर वाहनों के संचालन के लिए कर का भुगतान करने की बाध्यता के साथ निधि, जो अन्यथा 1988 के अधिनियम के तहत जारी परमिट द्वारा शासित हैं। इस प्रक्रिया में, इसने इस प्रकार जारी किए गए परमिट की प्रभावशीलता को कम कर दिया

सक्षम प्राधिकारी।

5. यह आग्रह किया जाता है कि 1976 के अधिनियम और 1985 के अधिनियम में संशोधन, जिसमें 1976 के अधिनियम की धारा 15 भी शामिल है, असंवैधानिक हैं क्योंकि

परिवहन वाहनों के संचालन के लिए जारी किए जाने वाले परमिट के संबंध में पूरा क्षेत्र पहले से ही 1988 के केंद्रीय अधिनियम द्वारा अधिकृत है। इस प्रकार, ऊपर निर्दिष्ट राज्य अधिनियम (ओं) के प्रावधान केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल हैं और केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल होने के बावजूद केरल राज्य द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अलावा, भले ही कोई प्रत्यक्ष संघर्ष न हो, राज्य अधिनियमों में विवादित प्रावधान विधायी क्षमता के अभाव के कारण अधिकार से बाहर हैं।

6. विशेष रूप से, केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में, राज्य के अधिनियमों में उल्लिखित प्रावधानों को चुनौती देते हुए, 1985 के अधिनियम की धारा 8 ए के संबंध में कोई राहत या घोषणा नहीं मांगी गई थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने 1976 के अधिनियम की धारा 15 की वैधता को चुनौती देना छोड़ दिया था। इस निर्विवाद स्थिति के प्रति सचेत होने के कारण, यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कानून के प्रश्न पर कानूनी प्रश्नों या वकील द्वारा दी गई रियायतों पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। इससे पहले विवादित प्रावधानों को चुनौती देने के लिए अपीलकर्ताओं के रास्ते में यह नहीं आ सकता है।

अदालत।

7. चाहे जो भी हो, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने पक्षों की ओर से प्रचार की गई दलीलों पर व्यापक रूप से विचार किया और उनकी पूरी जांच करने पर, उसने दिनांक 30.7.2007 के विवादित फैसले के माध्यम से चुनौती को नकार दिया। उच्च न्यायालय ने राय दी कि संयुक्त

1976 के अधिनियम की धारा 4 और धारा 15 की उप-धारा (7) और (8) का प्रभाव यह है कि यदि 1985 के अधिनियम के तहत निर्धारण अधिकारी से मंजूरी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है, तो कराधान अधिकारी को परमिट के संबंध में मोटर वाहन कर प्राप्त नहीं होगा। जिसके परिणामस्वरूप, परमिट अप्रभावी हो जाएगा, स्टेज कैरिज के मालिक को संबंधित अवधि के लिए इस तरह के परमिट के तहत अपने वाहन के संचालन से वंचित करना।

सभी केरल वितरक ए. एस. एस. एन. , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

8. उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि 1988 का अधिनियम अधिनियमित किया गया था

9 87. अस्थायी परमिट। (1) एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा 80 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, एक सीमित अवधि के लिए प्रभावी होने के लिए परमिट प्रदान कर सकते हैं, जो किसी भी मामले में चार महीने से अधिक नहीं होगा, अस्थायी रूप से परिवहन वाहन के उपयोग को अधिकृत करने के लिए। (क) मेलों और धार्मिक समारोहों में आने-जाने जैसे विशेष अवसरों पर यात्रियों के परिवहन के लिए, या

((ख) मौसमी व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए, या

(ग) किसी विशेष अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, या

(घ) परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर निर्णय लंबित है, और ऐसे किसी भी परमिट के साथ ऐसी शर्त संलग्न कर सकता है जो वह उचित समझेः

बशर्ते कि कोई क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, राज्य परिवहन प्राधिकरण, माल गाड़ियों के मामले में, असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में, और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, चार महीने से अधिक की अवधि के लिए, लेकिन एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनुमति दे सकता है।

(2) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी मार्ग या क्षेत्र के संबंध में इसके तहत एक अस्थायी अनुमति दी जा सकती है जहां

बशर्ते कि परिवहन वाहनों की संख्या, जिनके संबंध में अस्थायी परमिट इस प्रकार दिए गए हैं, उन वाहनों की संख्या से अधिक नहीं होगी जिनके संबंध में परमिट जारी करने पर रोक लगा दी गई है या, जैसा भी मामला हो, परमिट निलंबित कर दिया गया है। 10 88. उस क्षेत्र के बाहर उपयोग के लिए अनुमतियों का सत्यापन जिसमें अनुमति दी गई हो।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जबकि, राज्य अधिनियम अर्थात, 1976 अधिनियम, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 57 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो पूरी तरह से वाहनों पर कर से संबंधित है, चाहे वे यांत्रिक रूप से संचालित हों या नहीं। जबकि, 1985 का अधिनियम भी एक राज्य विधान है जो मोटर परिवहन श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सूची III की प्रविष्टियों 23 और 24 के तहत आता है।

9. राज्य अधिनियमों में उल्लिखित प्रावधानों की वैधता की चुनौती से निपटने के लिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने स्पष्ट रूप से

राय है कि राज्य विधानमंडल में विधायी क्षमता की कोई कमी नहीं है और 1976 के अधिनियम के साथ-साथ 1985 का अधिनियम काफी हद तक राज्य विधानमंडल को स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्तियों के भीतर आता है, जिसने 2005 के संशोधन अधिनियम सहित दोनों विधानों को अधिनियमित किया था। इसने आगे कहा कि केवल इसलिए कि 1976 के अधिनियम ने एक ऐसे विषय से भी निपटा था जो समवर्ती सूची की सूची III की प्रविष्टियों 23 और 24 के तहत आता है, यह नहीं माना जा सकता है कि 1976 के अधिनियम के प्रावधान कानून में खराब हैं। अपने द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को पुष्ट करने के लिए, उच्च न्यायालय ने A.L.S.P.P.L. सुब्रमण्यन चेट्टियार बनाम में व्याख्या पर भरोसा किया। मुत्तुस्वामी गौंडन 1 1;

प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी और अन्य। बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, खुलना 1 2; द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अन्न। बनाम एफ. एन. बालसरा 1 3; और एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ 1. उच्च न्यायालय ने राय दी कि राज्य के अधिनियम और विवादित संशोधन काफी हद तक राज्य विधानमंडल को स्पष्ट रूप से प्रदान की गई शक्तियों के भीतर आते हैं और इन्हें केवल इसलिए अमान्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह संयोग से दूसरे को छूता है।

(8) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले किसी भी नियम के अधीन, क्षेत्रीय परिवहन

किसी भी एक क्षेत्र का प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, राज्य परिवहन प्राधिकरण, जनता की सुविधा के लिए, किसी भी सार्वजनिक सेवा वाहन को, जिसमें धारा 72 (आरक्षित श्रेणी के वाहन सहित) के तहत जारी परमिट द्वारा कवर किया गया कोई भी वाहन शामिल है, या इस धारा की धारा 74 के तहत या उप-धारा (9) के तहत किसी यात्री या यात्रियों को किराए या इनाम के लिए ले जाने के लिए एक विशेष परमिट दे सकता है, एक अनुबंध के तहत, स्पष्ट या निहित, वाहन के उपयोग के लिए अनुबंध में शामिल नहीं किए गए मार्ग यात्रियों की रेखा के साथ लेने या निर्धारित करने के लिए बिना रुके, और प्रत्येक मामले में जहां ऐसा विशेष परमिट दिया जाता है, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण वाहन को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप और तरीके से प्रदर्शन के लिए एक विशेष विशिष्ट चिह्न सौंपेगा।

11 एयर 1941 एफ. सी. 47

13 एआईआर 1951 एससी 318

14 एयर 1979 एससी 898 केरला डिस्ट्रीब्यूटर्स एएसएसएन। , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. एस एस सी द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

एटियन। पीठ और पदार्थ का सिद्धांत स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति को आकर्षित करेगा। इस तर्क पर विचार करते हुए कि अपील और समीक्षा का अधिकार अपीलकर्ताओं को उपलब्ध है

उच्च न्यायालय ने ग्राफ 18 और 19 में इस प्रकार उल्लेख किया है कि 1985 के अधिनियम के तहत लैंटों में कटौती की जाएगीः

" 18. याचिकाकर्ताओं ने, जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, यह तर्क दिया है कि उप-धाराओं (7) को लागू करने के कारण और (8) कराधान अधिनियम की धारा 4 के लिए, कल्याण निधि अधिनियम की धारा 8 के तहत समीक्षा दायर करने के साथ-साथ अपील करने का उपाय है

प्रभावी रूप से कटौती की गई। धारा 8 की उप-धारा (2) एक व्यक्ति को प्राधिकरण के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने में सक्षम बनाती है जिसने

मूल निर्धारण की समीक्षा करने के लिए विस्तृत तथ्यों और कारणों को दर्शाते हुए बकाया का निर्धारण किया। पीड़ित पक्ष को यह अधिकार भी प्रदान किया जाता है यदि वह संबंधित जिले के जिला श्रम अधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए समीक्षा याचिका पर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट है। अपील को बनाए रखने के लिए उसे मांगी गई राशि का केवल 50 प्रतिशत ही भेजना पड़ता है। समीक्षा या अपील दायर करने का उपरोक्त अधिकार प्रभावी रूप से लिया गया है।

धारा 4 की उप-धाराओं (7) और (8) द्वारा, अर्थात केवल

योगदान के भुगतान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकारी कर स्वीकार करेगा। हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कल्याण निधि अधिनियम के तहत देय योगदान के 50 प्रतिशत की प्राप्ति के लिए दिनांकित एक परिपत्र जारी किया गया है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को

कर का भुगतान करें। इसलिए एक पीड़ित पक्ष जो कल्याण निधि अधिनियम के तहत योगदान के 50 प्रतिशत के भुगतान पर अपील दायर करता है, वह उस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार है और उस प्रमाण पत्र को कर अधिकारियों के समक्ष पेश करने पर उसे कर प्राप्त होगा। परिपत्र निश्चित रूप से समीक्षा याचिका से संबंधित नहीं है। इसलिए हम आदेश देते हैं कि यदि एक उचित रूप से गठित समीक्षा याचिका निर्धारित समय के भीतर दायर की जाती है, और वह मुख्य कार्यकारी के पास लंबित है धारा 8 के तहत नियुक्त अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी

कल्याण निधि अधिनियम उस अधिकारी को उस प्रभाव के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है और उस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर कराधान प्राधिकरण को कराधान अधिनियम के तहत कर प्राप्त करना चाहिए। ए फाइल करने का अधिकार इसलिए समीक्षा याचिका के साथ-साथ एक अपील भी प्रभावी है।

संरक्षित।

19. इसलिए हम मानते हैं कि 2005 के अधिनियम 24 की धारा 4 की उप-धारा (7) और (8) संवैधानिक रूप से मान्य है; इसी तरह धारा 8 ए भी।

कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम के तहत पेश किया गया।

हालाँकि,

[2022] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हम मानते हैं कि यदि धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत दायर समीक्षा याचिका के साथ-साथ धारा 7 के साथ पठित धारा 4 के तहत अपील संबंधित अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है, तो वे बाध्य हैं। पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रमाण पत्र जारी करना और यदि कोई अपील लंबित है और अपील दायर करने की पूर्व शर्त पूरी हो गई है, तो प्रमाण पत्र अपीलीय प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाना चाहिए और यदि उन प्रमाण पत्रों को कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें कराधान अधिनियम के तहत कर प्राप्त होगा। रिट अपील

और रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

10. वास्तव में, उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि परमिट धारक 1976 के तहत वाहन कर का भुगतान करने के अपने दायित्व पर न तो विवाद कर रहे थे

न ही वे 1985 के अधिनियम के तहत कल्याण निधि में योगदान देने की बाध्यता से इनकार कर रहे हैं। अभियुक्तों का उद्देश्य

धारा 15 सहित संशोधन केवल यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि इन दोनों दायित्वों का विधिवत निर्वहन किया जाए ताकि परिवहन संचालकों को अपना व्यवसाय निर्बाध रूप से जारी रखने की अनुमति मिल सके। यह न तो 1988 के अधिनियम के तहत अनुमत कर लगाने का मामला है और न ही उक्त अधिनियम की भावना से विचलित होने का मामला है, जो स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी करता है कि स्टेज कैरिज परमिट देने के लिए, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण आवेदक के संतोषजनक प्रदर्शन पर विचार करने के लिए बाध्य है।

आवेदक द्वारा कर का भुगतान। राज्य विधान में प्रावधान 1988 के अधिनियम के तहत जारी परमिट को निलंबित करने के लिए नहीं है, लेकिन "अप्रभावी" अभिव्यक्ति को परमिट धारक को केवल 1976 के अधिनियम के तहत वाहन कर के भुगतान पर परमिट का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के रूप में माना जाना चाहिए, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है। इस विश्लेषण पर, उच्च न्यायालय ने चुनौती को खारिज कर दिया और विवादित फैसले के माध्यम से रिट याचिकाओं और रिट अपीलों को खारिज कर दिया।

11. अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की आलोचना की है। यह श्री के. परमेश्वर द्वारा आग्रह किया जाता है, जो विद्वान वकील हैं। अपीलकर्ताओं का कहना है कि केंद्रीय विधान यानी 1988 का अधिनियम, परमिट के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और उक्त विधान एक स्व-निहित संहिता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा हरदेव मोटर परिवहन बनाम मामले में स्पष्ट किया गया है। एम. पी. और Ors.[1]5 की स्थिति। वह प्रस्तुत करेंगे कि 1988 के अधिनियम का अध्याय V परमिट के सभी पहलुओं से संबंधित है, जिसमें उनके जारी होने, प्रभावशीलता, अवधि शामिल हैं।

शर्तें। 1988 के अधिनियम की धारा 81 (1) में परिकल्पना की गई है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परमिट जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। 15 (2006) 8 एस. सी. सी. 613 (पैरा 4,11 और 12)

सभी केरल वितरक ए. एस. एस. एन. , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

या पाँच साल की अवधि के लिए उसका नवीनीकरण। एक बार ऐसा परमिट जारी हो जाने के बाद, इसकी वैधता अवधि के दौरान इसे राज्य के कानून द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। 1988 के अधिनियम की धारा 82 1 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को परमिट के हस्तांतरण की भी अनुमति देती है और धारा 83 1 7 परमिट धारक को परमिट द्वारा कवर किए गए वाहन को उसी प्रकृति के किसी अन्य वाहन से बदलने की अनुमति देती है। इसके अलावा, 1988 के अधिनियम की धारा 192 ए 1 8 विशेष रूप से एक शब्द का उपयोग करने के लिए उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए कारावास की सजा लगाती है।

16 82. परमिट का हस्तांतरण। — (1) उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधान के अलावा, परमिट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं होगा, सिवाय उस परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के जिसने परमिट दिया है और ऐसी अनुमति के बिना, किसी भी व्यक्ति को, जिसे परमिट द्वारा कवर किए गए वाहन को परमिट द्वारा अधिकृत तरीके से उस वाहन का उपयोग करने का कोई अधिकार हस्तांतरित किया जाता है, प्रदान करने के लिए काम नहीं करेगा।

(2) जहां परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है, तो परमिट द्वारा कवर किए गए वाहन के कब्जे में आने वाला व्यक्ति, तीन महीने की अवधि के लिए, परमिट का उपयोग कर सकता है जैसे कि यह खुद को दिया गया थाः बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति ने धारक की मृत्यु के तीस दिनों के भीतर परिवहन प्राधिकरण को सूचित किया हो जिसने धारक की मृत्यु की अनुमति प्रदान की हो।

और परमिट का उपयोग करने के अपने इरादे के बारे में: बशर्ते कि मृतक धारक के हाथों में नवीनीकरण के बिना उस तारीख के बाद किसी भी परमिट का इस तरह से उपयोग नहीं किया जाएगा जिस पर यह प्रभावी नहीं होता। (3) परिवहन प्राधिकरण, परमिट धारक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर उसे किए गए आवेदन पर, परमिट को उसके उत्तराधिकारी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है।

परमिट द्वारा कवर किए गए वाहनों का कब्जाः बशर्ते कि परिवहन प्राधिकरण तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद किए गए आवेदन पर विचार कर सकता है यदि यह संतुष्ट हो कि आवेदक को निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से अच्छे और पर्याप्त कारण से रोका गया था।

17 1 7 83. वाहनों का प्रतिस्थापन। परमिट का धारक, उस प्राधिकरण की अनुमति से, जिसके द्वारा परमिट दिया गया था, परमिट द्वारा कवर किए गए किसी भी वाहन को उसी प्रकृति के किसी अन्य वाहन से बदल सकता है।

18 192 ए. बिना परमिट के वाहन का उपयोग करना। - (1) जो कोई मोटर वाहन चलाता है या धारा 66 की उप धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए या उस मार्ग से संबंधित परमिट की किसी शर्त का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन का उपयोग करने देता है या अनुमति देता है, जिस पर या जिस क्षेत्र में या जिस उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकता है, वह पहले अपराध के लिए कारावास से दंडनीय होगा। छह महीने तक का विस्तार और दस हजार रुपये का जुर्माना और किसी भी बाद के अपराध के लिए कारावास जो एक साल तक बढ़ सकता है लेकिन छह महीने से कम नहीं होगा या दस हजार रुपये का जुर्माना या दोनों के साथः

बशर्ते कि न्यायालय दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, एक कम लागू कर सकता है

सजा।

(2) बीमारी या चोट से पीड़ित व्यक्तियों के परिवहन के लिए या मरम्मत के लिए सामग्री के परिवहन के लिए या संकट को दूर करने के लिए भोजन या सामग्री के परिवहन के लिए या इसी तरह के उद्देश्य के लिए चिकित्सा आपूर्ति के लिए आपात स्थिति में मोटर वाहन के उपयोग पर इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी:

बशर्ते कि वाहन का उपयोग करने वाला व्यक्ति इस तरह के उपयोग की तारीख से सात दिनों के भीतर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को इसके बारे में सूचित करे।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिना परमिट के वाहन और 1988 के अधिनियम की धारा 177 1 9 9 अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियमन या अधिसूचना के उल्लंघन के कारण सजा के लिए एक सामान्य प्रावधान है। अनुभाग 20721988 के अधिनियम के 0 में बिना परमिट के चलने वाले किसी भी वाहन को जब्त करने और हिरासत में लेने का भी प्रावधान है। दूसरे शब्दों में, परमिट की शर्तों के उल्लंघन या वैध परमिट के बिना वाहन का उपयोग करने की स्थितियों से निपटने के लिए 1988 के अधिनियम में एक अंतर्निहित तंत्र है। यह एक पूर्ण संहिता होने के कारण, यह राज्य विधानमंडल के लिए अधिकृत क्षेत्र पर अतिक्रमण करने के लिए खुला नहीं होगा। इसलिए, 1976 के अधिनियम की धारा 15 केंद्रीय कानून के तहत विधायी योजना के साथ सीधे टकराव में है, जो परिवहन वाहनों के परमिट से संबंधित है। राज्य का कानून केवल वाहनों पर कर तक सीमित होगा और परमिट या संबंधित मामलों से परे नहीं जा सकता है।

धारा के तहत प्रदान की गई पांच साल की अवधि के दौरान इसकी प्रभावशीलता 8121988 के अधिनियम का 1. जबकि, 1976 की धारा 15 परिवहन का उल्लेख करती है।

(3) वह न्यायालय जिसमें किसी के संबंध में किसी दोषसिद्धि के लिए अपील की जाती है

उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का अपराध, निम्न न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी आदेश को दरकिनार या परिवर्तित कर सकता है, इसके बावजूद कि इसमें दोषसिद्धि के खिलाफ कोई अपील नहीं है।

जिसके संबंध में ऐसा आदेश दिया गया था। 19 1 9 177. अपराधों की सजा के लिए सामान्य प्रावधान। जो कोई भी इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियमन या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, अगर अपराध के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, तो पहले अपराध के लिए जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।

जो पाँच सौ रुपये तक बढ़ सकता है, और किसी दूसरे या बाद के अपराध के लिए जुर्माने के साथ जो एक हजार पाँच सौ रुपये तक बढ़ सकता है।

20 207. पंजीकरण परमिट आदि के प्रमाण पत्र के बिना उपयोग किए जाने वाले वाहनों को रोकने की शक्ति (1) कोई भी पुलिस अधिकारी या राज्य द्वारा इस संबंध में अधिकृत अन्य व्यक्ति।

सरकार, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर वाहन का उपयोग धारा 3 या धारा 4 या धारा 39 के प्रावधानों के उल्लंघन में या धारा 66 की उप-धारा (1) द्वारा आवश्यक परमिट के बिना किया गया है या किया जा रहा है या उस मार्ग से संबंधित ऐसे परमिट की किसी शर्त का उल्लंघन कर सकती है जिस पर या जिस क्षेत्र में या जिस उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकता है, निर्धारित तरीके से वाहन को जब्त कर सकती है और रोक सकती है और इस उद्देश्य के लिए वह कोई भी कदम उठा सकती है या उठा सकती है जिस पर वह विचार कर सकती है।

वाहन की अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपयुक्तः बशर्ते कि जहां ऐसे किसी अधिकारी या व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी मोटर वाहन का उपयोग धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में

या धारा 66 की उप-धारा (1) द्वारा आवश्यक परमिट के बिना किया गया है या किया जा रहा है, तो वह वाहन को जब्त करने के बजाय वाहन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जब्त कर सकता है और एक आदेश जारी करेगा।

उसके संबंध में स्वीकृति। (2) जहां किसी मोटर वाहन को उप-धारा (1) के तहत जब्त कर लिया गया है और हिरासत में लिया गया है, वहां मोटर वाहन का मालिक या प्रभारी व्यक्ति वाहन को छोड़ने के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ परिवहन प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी अधिकारी को आवेदन कर सकता है और ऐसा प्राधिकरण या अधिकारी, ऐसे दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, आदेश द्वारा वाहन को ऐसी शर्तों के अधीन छोड़ सकता है जो प्राधिकरण या अधिकारी अधिरोपित करना उचित समझे।

21 81. परमिट की अवधि और नवीनीकरण। - (1) धारा 87 के तहत जारी अस्थायी परमिट या सभी केरल जिला प्राधिकरण की उप-धारा (8) के तहत जारी विशेष परमिट के अलावा कोई अन्य परमिट।

, कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अप्रभावी अनुमति। इस प्रकार, यह परमिट धारक को 1988 के अधिनियम के साथ-साथ 1976 के अधिनियम के तहत कई दंडों के लिए उजागर करता है।

12. वह आगे प्रस्तुत करता है कि तिरस्कार में भी उत्पन्न हो सकता है

प्रत्यक्ष या अपरिवर्तनीय संघर्ष का अभाव, यदि यह केंद्रीय विधान द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को छूता है। रिलायंस को दीप चंद बनाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य और Ors.22 जिसने इसका पालन किया था

धारा 88 उसके जारी होने या नवीनीकरण की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगीः बशर्ते कि जहां धारा 88 की उप-धारा (1) के तहत परमिट पर प्रति-हस्ताक्षर किए गए हैं, ऐसे प्रति-हस्ताक्षर ऐसी अवधि के लिए नवीनीकरण के बिना प्रभावी रहेंगे ताकि -

प्राथमिक परमिट की वैधता के साथ समक्रमित करना। (2) परमिट को उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले किए गए आवेदन पर नवीनीकृत किया जा सकता है। (3) उप-धारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, उस उप-धारा में निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद परमिट के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन स्वीकार करता है यदि यह संतुष्ट है कि आवेदक को निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से अच्छे और पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(4) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, अर्थात्ः

आवेदन पर विचार करने की तारीख से पहले;
(ख) आवेदक को निम्नलिखित अपराधों में से किसी के लिए बारह महीने के भीतर दो या दो से अधिक बार दंडित किया गया था, जिसकी गणना आवेदन पर विचार करने की तारीख से पंद्रह दिन पहले की गई थी।

आवेदक द्वारा स्टेज कैरिज सेवा, अर्थात्ः

((i) किसी भी वाहन को चलाना।

(2) इस तरह के कर के भुगतान के लिए दी गई अनुग्रह अवधि के दौरान कर का भुगतान किए बिना और फिर ऐसे वाहन का चलना बंद कर दें;
(3) किसी भी अनधिकृत मार्ग पर;

((ii) अनधिकृत यात्राएं करनाः

बशर्ते कि खंड (ख) के प्रयोजन के लिए दंडों की संख्या की गणना करने में, किसी अपीलीय प्राधिकारी के आदेश द्वारा रोके गए किसी भी दंड को ध्यान में नहीं रखा जाएगाः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत कोई भी आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।

(5) जहां इस धारा के तहत किसी परमिट का नवीनीकरण उसकी अवधि समाप्त होने के बाद किया गया है, तो ऐसा नवीनीकरण ऐसी समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगा, चाहे वह कुछ भी हो - धारा 87 के खंड (घ) के तहत अस्थायी परमिट दिया गया है या नहीं और जहां अस्थायी परमिट दिया गया है, ऐसे अस्थायी परमिट के संबंध में भुगतान किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

22 (1959) सप. 2 एस. सी. आर. 8 (पैरा 28)

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ज़वेरभाई अमैदास बनाम में निर्णय। बॉम्बे राज्य 2,3 और Ch. टीका रामजी और अन्य। , आदि। बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य & Ors.²4। रिलायंस को थिरुमुरुगा किरुपानंद वारियार पर भी रखा गया है। थावथिरु सुंदरा स्वामीगल मेडिकल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु राज्य और कुलवंत कौर और अन्य। बनाम एल. आर. द्वारा गुरदियाल सिंह मान (मृत)। & Ors.26।

13. यह आग्रह किया जाता है कि केरल राज्य को 1976 के अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी चाहिए थी

1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद, जैसा कि 1939 के अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 304 (बी) के प्रावधान के तहत प्राप्त किया गया था। राष्ट्रपति की इस तरह की मंजूरी के अभाव में, 1976 के अधिनियम की धारा 15 को 1988 के अधिनियम की धारा 81 के प्रतिकूल होने के कारण अधिकार से बाहर कर दिया गया है। रिलायंस को कैसर-आई-हिंद प्राइवेट लिमिटेड पर रखा गया है। लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम राष्ट्रीय वस्त्र निगम। (महाराष्ट्र उत्तर) लिमिटेड और Ors.27। इसी कारण से, केरल राज्य को 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित प्रावधानों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 304 (बी) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए थी। रिलायंस भी है

होचस्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और ओआरएस पर रखा गया। बनाम बिहार राज्य और Ors.28 यह तर्क देना कि संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच अनुच्छेद 254 (1) के तहत प्रतिकूलता का सवाल केवल तभी उत्पन्न होता है जब दोनों विधान समवर्ती में उल्लिखित मामलों में से एक के संबंध में एक ही क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। सूची, और दोनों कानूनों के बीच सीधा संघर्ष है। लेकिन, अनुच्छेद 254 (1) ओवरलैपिंग पाए जाने के कारण प्रतिकूलता के मामलों पर लागू नहीं होता है।

एक ओर सूची II और दूसरी ओर सूची I और III के बीच। यदि इस तरह का अतिव्यापी अस्तित्व में है, तो राज्य का कानून अधिकार से बाहर होगा क्योंकि

अनुच्छेद 246 (3) के साथ पठित अनुच्छेद 246 (1) में अवरोधक खंड। उस मामले में राज्य का कानून अंततः विधायी क्षमता की कमी के कारण विफल हो जाएगा और

तिरस्कार के कारण नहीं। रिलायंस को केरल और अन्य राज्यों में भी रखा गया है। बनाम मार अप्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड और Anr.29⁹ जिसने संविधान के अनुच्छेद 246 (1) की प्रभावकारिता से निपटा था।

14. यह भी आग्रह किया जाता है कि अपीलकर्ता 1976 के अधिनियम की धारा 15 की वैधता पर बहस करने के लिए गैर-उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे इसके विपरीत हैं।

23 (1955) 1 एससीआर 799 24 (1956) एस. सी. आर. 393 25 (1996) 3 एस. सी. सी. 15 (पैरा 26) 26 (2001) 4 एस. सी. सी. 262 (पैरा 14)

27 (2002) 8 एस. सी. सी. 182 (पैरा 72 से 76) 28 (1983) 4 एस. सी. सी. 45 (पैरा 69) 29 (2012) 7 एस. सी. सी. 106 (पैरा 39)

सभी केरल वितरक ए. एस. एस. एन. , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

1988 के अधिनियम की धारा 81, केवल उच्च न्यायालय के समक्ष कानून के प्रश्न पर वकील की रियायत के कारण। इस समर्पण को मजबूत करने के लिए, भारत संघ और अन्य के उक्ति पर निर्भरता रखी गई है। बनाम मोहनलाल लिकुमल पंजाबी और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, ओडिशा और अन्य। बनाम प्रमोद कुमार साहू 3 1.

15. इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी न केवल 1976 के अधिनियम में 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई धारा 4 की उप-धारा (7) और (8) की संवैधानिक वैधता पर हमला करने के हकदार हैं, बल्कि 1976 के अधिनियम की धारा 15 पर भी हमला करने के हकदार हैं। अपीलार्थियों के प्रस्तुत करने में, ये प्रावधान असंवैधानिक हैं।

16. संबंधित मामलों में अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री के. राधाकृष्णन ने कमोबेश संशोधित प्रावधानों और 1976 की धारा 15 को चुनौती दी। अधिनियम, लेकिन इसके अलावा, उन्होंने 1985 के अधिनियम में 2005 के अधिनियम 23 द्वारा जोड़ी गई धारा 8ए की वैधता पर भी हमला किया। उनके अनुसार, 1985 के अधिनियम की धारा 8ए अपने अप्रभावी खंड के साथ प्रभावी रूप से केंद्रीय विधान यानी 1988 के अधिनियम को ओवरराइड करती है। वे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 19 में 1985 के अधिनियम की धारा 8ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और इसलिए, यह अपीलार्थियों के लिए खुला है -

वर्तमान अपीलों में इस प्रावधान की वैधता को चुनौती दें। उनमे

प्रस्तुत करते हुए, सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 57 समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 35 के अधीन है। इसलिए, 1976 के अधिनियम की धारा 4 में विवादित संशोधन केंद्र सरकार का अतिक्रमण और अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं।

कानून अर्थात, 1988 का अधिनियम, उस अधिनियम के तहत जारी किए गए परमिट के अनुसार चरण और माल वहन संचालन को बहुत कम कमजोर करता है। 17. यह भी आग्रह किया जाता है कि सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 57 को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 24 के अधीन नहीं बनाया गया है और किस कारण से,

1976 के अधिनियम को 1985 के अधिनियम के अधीन नहीं बनाया जा सकता है। 1985 का अधिनियम एक श्रम कल्याण कानून है, जबकि 1976 का अधिनियम एक ऐसा कानून है जो प्रतिपूरक प्रकृति का है। किसी भी मामले में, 1988 का अधिनियम एक पूर्ण संहिता और एक नियामक विधान है। उनके प्रस्तुतिकरण में, केरल राज्य द्वारा कल्याणकारी कानून को प्रतिपूरक के साथ जोड़ा गया है

विवादित संशोधनों/समावेशनों के माध्यम से विधान और इन प्रावधानों को मिलाकर परमिट जारी करने और इसकी प्रभावशीलता से संबंधित 1988 के अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों और प्रावधानों का काफी हद तक अतिक्रमण और ओवरराइड करता है। उनके प्रस्तुतिकरण में, विवादित राज्य अधिनियम 30 (2004) 3 एस. सी. सी. 628 (पैरा 8 और 9) 31 (2019) 10 एस. सी. सी. 674 (पैरा 11)

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ये केंद्रीय कानून के प्रतिकूल हैं और राज्य और केंद्रीय विधानों के बीच अप्रतिरोध्य संघर्ष और सीधा टकराव मौजूद है, जो संविधान के अनुच्छेद 254 (1) के जनादेश को बाधित करता है।

कि केंद्रीय विधानों को प्रबल होना चाहिए। वह प्रस्तुत करता है कि विवादित राज्य अधिनियम, इसलिए, अमान्य और असंवैधानिक हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत संरक्षण नहीं है और राष्ट्रपति की मंजूरी के अभाव में यह प्रबल नहीं हो सकता है। उन्होंने एम. करुणानिधि 3 2; एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस एंड ओआरएस पर भरोसा रखा है। बनाम भारत संघ & Ors.³3 33; और धारप्पा बनाम बीजापुर कूप। दुग्ध उत्पादक समिति संघ Ltd.³4 34.

18. यह उनका निवेदन है कि राज्य के अधिनियम विधायी क्षमता की कमी से पीड़ित हैं और रंगीन कानून हैं।

राज्य सूची की प्रविष्टि 57 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 24 में विधान का क्षेत्र अलग और अलग है। हालांकि, दो राज्य कानून अलग-अलग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इस कारण से, संबंधित प्रावधानों में आक्षेपित संशोधन/सम्मिलन अप्रत्यक्ष रूप से कल्याण निधि योगदान के संग्रह को प्राप्त करने के लिए शक्तियों की सीमाओं के उल्लंघन पर सीमित हैं। राज्य विधानमंडल कल्याण निधि के संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कानून बनाने में सक्षम नहीं है।

कराधान कानून के माध्यम से देय राशि। इस प्रक्रिया में, कराधान क़ानून को कल्याण निधि क़ानून के अनुरूप बनाया जाता है। इसे मजबूत करने के लिए

प्रस्तुत करना, अशोक कुमार उर्फ गोलू बनाम भारत संघ और तमिलनाडु राज्य और अन्य में उक्ति पर निर्भरता रखी गई है। बनाम के. श्याम सुंदर और अन्य। 36 .

19. इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित संशोधन/सम्मिलन स्पष्ट रूप से मनमाने हैं और अनिवार्य रूप से मौलिक पर प्रभाव डालते हैं।

अधिकार जैसे कि, धारा 4 की उप-धारा (8) के माध्यम से आक्षेपित सम्मिलन के सामने मूल अनुचितता स्पष्ट है जो घोषणा करती है कि कोई भी कर तब तक एकत्र नहीं किया जाएगा जब तक कि

धारा 4 की उप-धारा (7) में उल्लिखित कल्याण निधि के लिए योगदान का प्रेषण प्रस्तुत किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित है। इसमें, कराधान अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पेशकश किए जाने पर कर स्वीकार करे।

कर दाता द्वारा और वह इसके तहत जारी वैध परमिट के साथ चरण और माल वहन संचालन को प्रभावित करने के लिए इतना कम करने से इनकार नहीं कर सकता है।

32 फुटनोट पर सुप्रा No.14 (पैरा 8) 33 (2004) 4 एससीसी 489 (पैरा 13 और 15) 34 (2007) 9 एससीसी 109 (पैरा 12) 35 (1991) 3 एससीसी 498 (पैरा 9) 36 (2011) 8 एससीसी 737 (पैरा 36)

सभी केरल वितरक ए. एस. एस. एन. , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

केंद्रीय विधान अर्थात 1988 का अधिनियम। इस प्रकार जारी किए गए परमिट को राज्य के कानून द्वारा अप्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। इस मायने में, असंतुष्ट

संविधान के अनुच्छेद 254 (1) और 254 (2) द्वारा संशोधन/सम्मिलन प्रभावित होते हैं। संवैधानिकता का अनुमान उन विवादित संशोधनों/सम्मिलन की सहायता के लिए नहीं आ सकता है जो स्पष्ट विधायी मनमानेपन से दूषित होते हैं और अनुमति पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं

चरण और माल परिवहन संचालन। इसलिए, विवादित समावेशन संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के भी खिलाफ हैं। रिलायंस को अजय हासिया एंड ओआरएस पर रखा गया है। बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दी और Ors.³7

और के. श्याम सुंदर 3 8. अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलों की अनुमति दी जाए और राज्य अधिनियमों में विवादित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जाए। 20. केरल राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अब्राहम मैथ्यूज ने विवादित फैसले में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दर्ज किए गए कारणों को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ताओं ने 1976 के अधिनियम के तहत लगाए गए कर के साथ-साथ 1985 के अधिनियम के तहत अपने बकाया/योगदान का भुगतान करने के लिए अपनी देनदारी स्वीकार कर ली। इस मायने में, इन अपीलों में एकमात्र चुनौती यह है कि संशोधन करता है

कल्याणकारी देय राशि का भुगतान कर के संग्रह के लिए एक पूर्व शर्त है, जिससे केवल अनुपालन के उद्देश्य से कर के साथ जोड़ा जाता है। इस तरह के प्रावधान को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है। शिक्षा उपकर आदि जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए शुल्कों को जोड़ना विधानमंडल के लिए हमेशा खुला रहता है। इसके अलावा, विवादित फैसले के पैराग्राफ 19 में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने स्पष्ट रूप से निर्देश देकर प्रदान किया है

1976 के अधिनियम के तहत कराधान अधिकारी द्वारा वाहन कर को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त अनुपालन माना जाता है। इसलिए, ऐसे परमिट धारक के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा। किसी भी मामले में, परमिट धारक को यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह 1985 के अधिनियम के तहत बकाया का भुगतान नहीं करेगा और फिर भी हमेशा की तरह व्यवसाय जारी रखना चाहेगा, संचालन के लिए परमिट की वैधता के कारण श्रमिकों का शोषण करेगा। 37

(1981) 1 एस. सी. सी. 722 (पैरा 16)

38 फुटनोट No.36 पर सुप्रा (पैरा 50 से 53)

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिवहन वाहन का उपयोग हमेशा की तरह एक ही व्यवसाय में किया जाता है। एक बात के रूप में वास्तव में, 1985 के अधिनियम के तहत शुल्क समवर्ती सूची की प्रविष्टि 24 के अंतर्गत आता है। जबकि, वाहन कर उसकी प्रविष्टि 35 के अनुसार लगाया जाता है। दोनों क्षेत्र अलग-अलग हैं और विधानमंडल में कोई अतिक्रमण नहीं है

21. यह भी आग्रह किया जाता है कि भले ही यह संसद के विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला हो, लेकिन इस तरह का अतिक्रमण, आकस्मिक होने के कारण, होक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 39 में बताए गए पिथ और पदार्थ के सिद्धांत द्वारा संरक्षित है। 22. यह भी आग्रह किया जाता है कि श्रमिक कल्याण कोष में योगदान की वसूली एक सामाजिक रूप से लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा करना है।

अपीलार्थियों और अन्य समान रूप से तैनात वाहन संचालकों द्वारा केंद्रीय कानून के तहत जारी परमिट के अनुसार किए गए वाणिज्यिक कार्यों के कर्मचारी। उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी पेंशन और भविष्य निधि योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं हो सकते हैं। अधिकांश मामलों में, वे आम तौर पर असंगठित होते हैं और अनौपचारिक कार्यबल का हिस्सा होते हैं। देश और अक्सर खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया। 1985 का अधिनियम ऐसे श्रमिकों तक पहुंचने और उन्हें मंच और माल वहन संचालकों से किए गए संग्रह के आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए है। अतीत में, ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां संचालकों ने जानबूझकर श्रमिकों के कल्याण कोष में भुगतान करने और योगदान करने से परहेज किया था, जिसे उच्च न्यायालय के वारंट द्वारा भी अस्वीकार कर दिया गया था

राज्य विधानों में संशोधन जो वर्तमान में विवादित हैं

कार्यवाही। 23. अतः यह आग्रह किया जाता है कि अपीलार्थियों द्वारा दी गई चुनौती योग्यता से रहित है। उस में, राज्य अधिनियमों के प्रावधान, जो

वर्तमान कार्यवाहियों में आक्षेप किए जाने पर, केंद्रीय कानून के तहत जारी किए गए परमिट को पूर्ववत न करें, बल्कि केवल केंद्रीय कानून के जनादेश को दोहराते हैं कि वाहन का उपयोग परमिट और वाहन कर के भुगतान के बिना नहीं किया जा सकता है। केवल इसलिए कि परमिट के तहत जारी किया जाता है

केंद्रीय कानून जो जारी करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए प्रावधान करता है, इसका पालन नहीं करता है कि परमिट धारक या वाहन का मालिक राज्य के कानून के आधार पर देय कर के भुगतान के बिना इस तरह के परमिट के तहत वाहन का संचालन कर सकता है और वाहन से संबंधित गतिविधियों से अधिक जुड़ा हुआ है। राज्य के लिए किसी भी वाहन को रोकने या वैध परमिट के बावजूद वाहन को जब्त करने और हिरासत में लेने के लिए खुला है, यदि इसका उपयोग राज्य के भीतर उपयोग के लिए किया जाता है या रखा जाता है, तो इसके तहत देय कर का भुगतान किए बिना।

39 फुटनोट No.28 ऑल केराला डिस्ट्रीब्यूटर्स ASSN पर सुप्रा। , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

1976 का अधिनियम। यह राज्य के कानून के तहत एक परिणाम है। एक अर्थ में, "अप्रभावी" अभिव्यक्ति का उपयोग करने वाले संशोधित प्रावधानों का अर्थ होगा कि एक वैध परमिट के बावजूद, उस वाहन के संबंध में राज्य के कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है जिसका उपयोग कर के भुगतान के बिना राज्य के भीतर उपयोग के लिए किया जाता है या रखा जाता है।

24. यह एक अलग बात है कि सबूत पेश करने की पूर्व शर्त

कराधान अधिकारी द्वारा वाहन कर स्वीकार करने से पहले 1985 के अधिनियम के तहत बकाया राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है। यदि ऐसा समझा जाए, तो 1976 के अधिनियम की धारा 15 को 1988 के अधिनियम की धारा 81 के साथ टकराव या प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है। 1988 के अधिनियम के तहत भी, परमिट धारक नियमित रूप से कर का भुगतान करने के लिए बाध्य है, जिसमें विफल रहने पर, इसे रद्द किया जा सकता है या

उल्लंघन के लिए दंडात्मक परिणामों सहित परमिट/नवीनीकरण की अस्वीकृति।

25. श्री पी. एन. रवींद्रन, विद्वान वरिष्ठ वकील,

केरल मोटर परिवहन कर्मचारी कल्याण कोष बोर्ड ने भी

उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का बचाव किया। वे प्रस्तुत करते हैं कि केरल राज्य में मोटर वाहनों पर कर की वसूली 1976 के अधिनियम द्वारा शासित होती है, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 57 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक कानून है। इस अधिनियम को 15.3.1976 पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। जबकि, 1985 का अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 24 के तहत अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 34-1 के तहत, राज्य सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसे 'केरल मोटर परिवहन श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड योजना, 1985'4 2 'के रूप में जाना जाता है। अनुभाग के अनुसार

943 1985 के अधिनियम और 1985 की योजना के अनुच्छेद 29 के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता,

40 संक्षेप में, "कल्याण निधि बोर्ड" 4 1 3। मोटर परिवहन कर्मचारी कल्याण कोष। (1) सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर्मचारियों के लिए इस अधिनियम के तहत एक कोष की स्थापना के लिए केरल मोटर परिवहन श्रमिक कल्याण कोष योजना नामक एक योजना बना सकती है और योजना के निर्माण के बाद जितनी जल्दी हो सके, इस अधिनियम और योजना के प्रावधानों के अनुसार एक कोष की स्थापना की जाएगी।

(2) निधि बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा प्रशासित की जाएगी। (3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, योजना अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकती है।

42 संक्षेप में, "1985 की योजना" 4 3 9। मासिक अंशदान का प्रेषण। (1) प्रत्येक नियोक्ता, नियोक्ता और स्व-नियोजित व्यक्ति, योजना में दिए गए प्रावधान के अनुसार हर महीने अपने देय योगदान का भुगतान करेंगे।

(2) मासिक अंशदान का भुगतान अगले महीने के 7 वें दिन या उससे पहले किया जाएगा।

कर्मचारी और स्व-नियोजित व्यक्ति अगले महीने के 7 वें दिन या उससे पहले मासिक योगदान भेजने के लिए बाध्य हैं। 1985 के अधिनियम की धारा 844 और 1985 की योजना के अनुच्छेद 28 में नियोक्ता, कर्मचारी और स्व-नियोजित व्यक्ति से अधिनियम और योजना के तहत देय राशि के निर्धारण का प्रावधान है। यह प्राधिकरण के समक्ष समीक्षा याचिका के उपचार का प्रावधान करता है, जिसने बकाया निर्धारित किया; जिला श्रम अधिकारी के समक्ष एक अपील; और, ऐसे मामलों में जहां विवाद में बकाया रुपये से अधिक है, केरल मोटर परिवहन श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड को दूसरी अपील। अपील पर तभी विचार किया जा सकता है जब चुनौती के तहत आदेश में उल्लिखित राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाए। यह देखा गया कि अधिकांश मामलों में 1985 के अधिनियम और 1985 की योजना के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था। केरल प्राइवेट बस ऑपरेटर्स फेडरेशन द्वारा दायर 2003 के ओ. पी. No.7440 में उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू पर ध्यान दिया गया था और निर्देशों के अनुसार

(4) उप-धारा (3) के तहत किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति संबंधित जिले के जिला श्रम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है और उसके कर्मचारियों को उसकी प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर निपटाया जा सकता है। (5) यदि विवाद में बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक है, तो उप-धारा (4) के तहत किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति बोर्ड के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है और इसे प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा।

(6) यथास्थिति, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के तहत पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।

(9) केरल मोटर परिवहन श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (5) के तहत अपील करने की शक्ति का प्रयोग करने वाला अधिकारी या प्राधिकरण। 1985 , केरल मोटर परिवहन श्रमिक कल्याण कोष की शुरुआत से ठीक पहले (संशोधन) अध्यादेश, 2005 ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखेगा।

सभी केरल वितरक ए. एस. एस. एन. , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उच्च न्यायालय द्वारा जारी, न केवल योजना में संशोधन किया गया था, बल्कि 2005 के अधिनियम 23 के माध्यम से 1985 के अधिनियम में धारा 8ए को जोड़ा गया था। साथ ही, 2005 के अधिनियम 24 द्वारा, 1976 के अधिनियम में उस अधिनियम की धारा 4 में उप-धारा (7) और (8) जोड़कर संशोधन किया गया। धारा 4 की अंतःस्थापित उप-धारा (7) और (8) का उद्देश्य कमोबेश 1976 के अधिनियम की धारा 15 में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुरूप था। 1976 के अधिनियम के तहत, धारा 10 के आधार पर, मोटर वाहन विभाग के सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के पद से कम के किसी भी अधिकारी या वर्दी में उप-निरीक्षक के पद से कम के किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी भी वाहन को रोकने का अधिकार दिया गया है ताकि वह इस बात से संतुष्ट हो सके कि ऐसे वाहन के संबंध में देय कर की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

26. 1976 के अधिनियम की धारा 11 कथित अधिकारियों को अधिकार देती है -

कर के भुगतान का प्रमाण पेश किए जाने तक कर के भुगतान के बिना केरल राज्य में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग के लिए रखे जाने वाले कर योग्य मोटर वाहनों को जब्त और हिरासत में लेना। विशेष रूप से, इन प्रावधानों को चुनौती नहीं दी गई है। एक मायने में, संशोधित प्रावधानों के बिना, 1988 के अधिनियम के तहत जारी किया गया परमिट उन मामलों में अप्रभावी हो जाएगा जहां इसके तहत कार्रवाई की जाती है।

1976 के अधिनियम की धारा 10 और 11। इस प्रकार समझा जाता है कि 1976 के अधिनियम की धारा 15 के साथ-साथ 1976 के अधिनियम की संशोधित धारा 4 (7) और (8) और 1985 के अधिनियम की धारा 8ए का 1976 के अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत उल्लिखित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के मामले में समान प्रभाव होगा। संशोधित प्रावधान केवल उस स्थिति की घोषणा करते हैं। यह किसी का मामला नहीं है क्योंकि परमिट के आधार पर, परमिट धारक कर के भुगतान के बिना केरल राज्य के भीतर उपयोग के लिए वाहन का उपयोग करने या वाहन रखने का हकदार होगा। कर का उद्ग्रहण 1976 के अधिनियम की धारा 345 के तहत निर्दिष्ट दर के आधार पर होगा। 1939 के अधिनियम के निरसन के बावजूद, 1976 के अधिनियम के ये प्रावधान काम करना जारी रखते हैं, जिससे

45 3. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को और उससे राज्य में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग के लिए रखे जाने वाले प्रत्येक मोटर वाहन पर अनुसूची में ऐसे वाहन के लिए निर्दिष्ट दर पर कर लगाया जाएगाः

बशर्ते कि ऐसा कोई कर किसी व्यापारी या ऐसे वाहन के निर्माता द्वारा व्यापार के उद्देश्य से रखे गए मोटर वाहन पर नहीं लगाया जाएगा और इसका उपयोग

पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा दिए गए व्यापार प्रमाणपत्र का प्राधिकरण; इसके अलावा मद संख्या में निर्दिष्ट किसी भी वर्ग के नए मोटर वाहन के संबंध में प्रदान किया गया है। 1 (ख) इस अधिनियम की अनुसूची के 2 और 11 में निर्दिष्ट दरों पर वाहन की खरीद की तारीख से 'एकमुश्त कर' लगाया जाएगा।

वाहन के पहले पंजीकरण के समय अनुलग्नक और उसके बाद कर धारा 4 की उप-धारा (1) के चौथे परंतुक के अनुसार अनुसूची में लगाया जाएगा। बशर्ते कि इस अधिनियम की अनुसूची की मद संख्या 1 (ए) में निर्दिष्ट

किसी भी विवरण के नए मोटर वाहन के संबंध में, [2022] 17 एस. सी. आर. की तारीख से लगाया जाएगा।

अधिकारियों ने वाहन कर के भुगतान के बिना केरल राज्य के भीतर उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए वाहन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा।

27. धारा 15 केवल 1939 के अधिनियम का उल्लेख करती है।

उसके किसी भी प्रावधान को शामिल करना। परिणामस्वरूप, उस अधिनियम के निरसन का 1976 के अधिनियम के प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसमें शामिल हैं - सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 8 (1) का प्रकाश। इसके समर्थन में

वाहन के पहले पंजीकरण के समय अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर पांच साल की अवधि के लिए अग्रिम कर की खरीद, और उसके बाद धारा 4 की उप धारा (1) के चौथे परंतुक के अनुसार अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर कर लगाया जाएगा।

(2) सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट कर की दर बढ़ा सकती हैः

बशर्ते कि ऐसी वृद्धि कुल मिलाकर पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

इस तरह की दर। (3) मोटर वाहन के पंजीकृत मालिक या नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए, राज्य में उपयोग के लिए ऐसे वाहन का उपयोग करना या रखना समझा जाएगा, सिवाय उस अवधि के जिसके लिए धारा 5 की उप धारा (1) के तहत ऐसे मोटर वाहन पर कोई कर देय नहीं है।

(4) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (5) में निर्दिष्ट कर के भुगतान पर अनुसूची में निर्दिष्ट मोटर वाहनों के किसी भी वर्ग के संबंध में एक समय में सात दिन या तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जा सकता है, और ऐसी शर्तों के अधीन जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं। (5) मोटर वाहन के संबंध में अस्थायी लाइसेंस के लिए देय कर होगा -

(क) जहां अस्थायी लाइसेंस सात दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं है,

उस मोटर वाहन पर त्रैमासिक कर के दसवें हिस्से की दर; और

((ख) जहां अस्थायी अनुज्ञप्ति सात दिन से अधिक की अवधि के लिए है, लेकिन तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं है, वहां उस मोटर वाहन पर त्रैमासिक कर के एक तिहाई की दर सेः

बशर्ते कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) की धारा 88 की उप धारा (9) के तहत परमिट के साथ कवर किए गए और केरल राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में पंजीकृत और केरल राज्य में प्रवेश करने और उसमें रहने वाले वाहनों के मामले में, ऐसे वाहन के लिए देय कर

बनो।

((क) यदि ऐसा रहता है। सात दिन से अधिक नहीं-तिमाही का दसवां हिस्सा

कर; और

(ख) यदि ऐसा प्रवास सात दिनों से अधिक है लेकिन एक दिन में तीस दिनों से अधिक नहीं है।

तिमाही कर का तीसरा भाग

(6) मोटर वाहनों के मामले में जिनके संबंध में केरल सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार के बीच कराधान से संबंधित कोई पारस्परिक व्यवस्था की गई है, कर का उद्ग्रहण, इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसी पारस्परिक व्यवस्था के नियमों और शर्तों के अनुसार होगा। : बशर्ते कि ऐसी प्रत्येक पारस्परिक व्यवस्था के नियम और शर्तें राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी और इसकी एक प्रति राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

सभी केरल वितरक ए. एस. एस. एन. , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जमा करना, सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास बनाम नथेल्ला सम्पाथु चेट्टी और न्यू सेंट्रल जूट मिल्स पर निर्भरता रखी गई है।

कं. लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, इलाहाबाद और Ors.47।

इस तरह के कर। जबकि, 1976 का अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 57 के तहत अधिनियमित किया गया है, जो विशेष रूप से राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में है। मोटर के संबंध में कर के भुगतान से संबंधित व्यवस्था इसलिए, वाहन और भुगतान न करने के परिणाम, 1976 के अधिनियम के लिए अनन्य हैं। इस प्रकार समझा जाए तो तिरस्कार का कोई सवाल ही नहीं है

1988 के अधिनियम के प्रावधानों और 1976 के अधिनियम द्वारा अधिकृत क्षेत्र में राज्य विधान के बीच। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि 1976 के अधिनियम की धारा 15 1988 के अधिनियम के तहत जारी किए गए परमिट की वैधता की अवधि को कम नहीं करती है, लेकिन यह केवल यह निर्धारित करती है कि परिवहन वाहन के संबंध में देय वाहन कर का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए और इस तरह यह घोषणा की जाती है कि कर का भुगतान न करने की स्थिति में, परमिट की वैधता अवधि वाहन कर के भुगतान के बिना केरल राज्य के भीतर उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए वाहन के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के रास्ते में नहीं आ सकती है। यदि ऐसा समझा जाए, तो 1988 के अधिनियम की धारा 81 (1) के संदर्भ में निर्धारित अवधि और राज्य के विधान के प्रावधानों के बीच कोई टकराव नहीं है-चाहे वह 1976 का अधिनियम हो या 1985 का अधिनियम। 29. जैसा कि पहले प्रस्तुत किया गया था, अपीलकर्ताओं ने विशेष रूप से 1976 के अधिनियम की धारा 10 और 11 की वैधता को चुनौती नहीं दी है, जो उक्त अधिकारियों को वाहन कर के भुगतान के बिना केरल राज्य में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग के लिए रखे गए मोटर वाहनों को रोकने या जब्त करने और हिरासत में लेने का अधिकार देता है। 1976 के अधिनियम और 1985 के अधिनियम के संशोधित प्रावधान केवल वाहन कर के भुगतान और संग्रह या भुगतान के लिए तौर-तरीके निर्धारित करते हैं।

1976 के अधिनियम के तहत वाहन कर का भुगतान करने की पेशकश करते समय नियोक्ता/वाहन मालिक को कराधान अधिकारी के समक्ष कल्याण कोष में योगदान के भुगतान के संबंध में रसीद प्रस्तुत करने की आवश्यकता के द्वारा केरल मोटर परिवहन श्रमिक कल्याण कोष में योगदान। 30. यह भी आग्रह किया जाता है कि इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य विधानमंडल में कानून बनाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है।

46 एआईआर 1962 एससी 316 47 (1970) 2 एससीसी 820 [2022] 17 एस. सी. आर.

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 57 के तहत आने वाले वाहन कर का विषय। 1988 का अधिनियम वाहन कर के भुगतान या संग्रह के तौर-तरीकों से संबंधित नहीं है। यही कारण है कि केंद्रीय अधिनियम और राज्य के बीच कोई विसंगति नहीं है

एक्ट करें। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, ये अपीलें गुण-दोष से रहित हैं और इसलिए, अपील के तहत उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय की पुष्टि करने की आवश्यकता है।

31. हमने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है

लंबाई। 32. मौखिक तर्कों पर विचार करने और लिखित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, शुरुआत में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि 1976 के अधिनियम और उसमें संशोधन के साथ-साथ 1985 के अधिनियम के संबंध में विधायी क्षमता के आधार पर कोई चुनौती नहीं है। तर्क अनिवार्य रूप से संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत जारी वाहन परमिट पर राज्य के कानूनों के लागू होने के कारण प्रतिकूलता के बारे में है। संविधान पीठ ने दीप चंद 48 में तिरस्कार के परीक्षणों को चित्रित किया है। इस निर्णय में तीन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है:

" (1) क्या दोनों प्रावधानों के बीच सीधा टकराव है;

(2)

क्या संसद का इरादा एक संपूर्ण नियम निर्धारित करना था

विषय के संबंध में संहिता-अधिनियम के स्थान पर विषय

राज्य विधानमंडल; और

क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून और उसके द्वारा बनाया गया कानून

(3)

राज्य विधानमंडल एक ही क्षेत्र पर कब्जा करता है।

33. हम उपयोगी रूप से थिरुमुरुगा किरुपानंद वरियार थावथिरु सुंदरा स्वामीगल मेडिकल में निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं।

एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट 49 जिसमें न्यायालय ने पैराग्राफ 26 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 26. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दो विधानों का परीक्षण

विरोधाभासी प्रावधानों को शामिल करना एकमात्र मानदंड है तिरस्कार। दो अधिनियमों के बीच असहमति उत्पन्न हो सकती है

भले ही उनमें से प्रत्येक के प्रति आज्ञाकारिता के बिना संभव है

एक दूसरे की अवज्ञा करना यदि एक वरिष्ठ के साथ एक सक्षम विधायिका प्रभावकारिता स्पष्ट रूप से या निहित रूप से इसके कानून द्वारा एक इरादे को दर्शाती है

48 फुटनोट No.22 पर सुप्रा

49 फुटनोट No.25 ऑल केराला डिस्ट्रीब्यूटर्स ASSN पर सुप्रा। , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए। श्री संघी का तर्क है कि वहाँ

धारा 5 (5) के परंतुक के बीच कोई प्रतिकूलता नहीं है चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम और भारतीय चिकित्सा की धारा 10-ए

परिषद अधिनियम क्योंकि दोनों का पालन किया जा सकता है, इसलिए नहीं कर सकते,

स्वीकार किया जाए। यह देखना होगा कि क्या धारा को लागू करने में

10 - भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम का ए, संसद ने स्पष्ट किया है

स्थापना से संबंधित पूरे क्षेत्र को शामिल करने का इरादा देश में नए मेडिकल कॉलेज "।

34. इस न्यायालय के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए

उपरोक्त निर्णयों पर हम तुरंत 1988 में संसद द्वारा अधिनियमित अधिनियम की ओर रुख करेंगे। इस अधिनियम ने पूर्ववर्ती मोटर वाहन अधिनियम, 1939 को निरस्त कर दिया था। संसद ने स्पष्ट रूप से सूची III-समवर्ती सूची में प्रविष्टि 35 के संदर्भ में 1988 का अधिनियम अधिनियमित किया है जो उन सिद्धांतों सहित यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों से संबंधित है जिन पर ऐसे वाहनों पर कर लगाया जाना है। विशेष रूप से, 1988 के अधिनियम में 1988 के अधिनियम की धारा 715 में वर्णित स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन पर विचार करने में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया का प्रावधान है। द. एक मंच गाड़ी के अनुदान के लिए एक आवेदन पर विचार करते हुए प्राधिकरण

50 71. स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन पर विचार करने में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया। - (1) एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, स्टेज कैरिज परमिट के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा। (2) एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण स्टेज कैरिज परमिट देने से इनकार कर देगा यदि यह किसी भी समय-सारणी से प्रस्तुत किया जाता है कि जिस गति से वाहन चलाए जा सकते हैं, उससे संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने की संभावना है:

(ख) जहां खंड (क) के तहत स्टेज कैरिज की संख्या तय की गई है, वहां राज्य सरकार राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्टेज कैरिज परमिट का कुछ प्रतिशत उसी अनुपात में आरक्षित रखेगी जो राज्य में सार्वजनिक सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्तियों के मामले में होता है। (ग) जहां खंड (क) के तहत स्टेज कैरिज की संख्या तय की जाती है, वहां क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इतनी संख्या में परमिट सुरक्षित रखेगा जो उपखंड (ख) के तहत राज्य सरकार द्वारा तय किए जाएं।

(घ) खंड (ग) में निर्दिष्ट अनुमतियों की ऐसी संख्या को आरक्षित करने के बाद, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण एक आवेदन पर विचार करते हुए निम्नलिखित को ध्यान में रखेगाः विषय, अर्थात्ः

(i) आवेदक की वित्तीय स्थिरता; [2022] 17 एस. सी. आर.

परमिट 1988 के अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है जिसमें एक स्टेज कैरिज ऑपरेटर के रूप में आवेदक के संतोषजनक प्रदर्शन और कर का भुगतान [धारा 71 (3) (डी) (ii)] शामिल है। इस अपील के विषय पर विचार करने के लिए अन्य प्रासंगिक प्रावधान धारा 81 है।

परमिट की अवधि और नवीनीकरण से संबंधित। इसमें कहा गया है कि अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट पांच साल की अवधि के लिए जारी या नवीनीकरण की तारीख से प्रभावी होगा। के लिए प्रावधान

उप-धारा (1) में परिकल्पना की गई है कि जहां धारा 88 की उप-धारा (1) के तहत परमिट पर प्रति-हस्ताक्षर किए गए हैं, वहां ऐसा प्रति-हस्ताक्षर ऐसी अवधि के लिए नवीनीकरण के बिना प्रभावी रहेगा ताकि प्राथमिक परमिट की वैधता के साथ तालमेल बिठाया जा सके। हम वर्तमान मामले में परंतुक के प्रभाव से चिंतित नहीं हैं। अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने की प्राधिकरण की शक्ति से संबंधित प्रासंगिक उप-धारा धारा 81 की उप-धारा (4) है। इसमें उन आधारों का प्रावधान है जिन पर परमिट के नवीनीकरण को अस्वीकार किया जा सकता है। इसमें ऐसे वाहन पर देय कर के भुगतान के बिना किसी भी वाहन को चलाना शामिल है; और किसी भी अनधिकृत मार्ग पर। इन प्रावधानों के अलावा, 1988 के अधिनियम में वाहन कर लगाने या उसके संग्रह के तरीके से निपटने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, संसद द्वारा बनाया गया कानून इस क्षेत्र में नहीं आता है -

वाहन कर के उद्ग्रहण और उसके संग्रह का तरीका। यदि ऐसा है, तो यह मानना संभव नहीं है कि दोनों प्रावधानों के बीच सीधा टकराव है, अर्थात्:

संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में।

इसके अलावा, वाहन कर लगाने और उसके संग्रह के तरीके के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधायी इरादे और विवादित प्रावधानों की प्रभावकारिता का विश्लेषण करने पर, यह पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि प्रत्येक कानून (संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए) का पालन दूसरे की अवज्ञा किए बिना संभव है। हम करेंगे।

((ii) स्टेज कैरिज ऑपरेटर के रूप में संतोषजनक प्रदर्शन जिसमें कर का भुगतान भी शामिल है, यदि आवेदक स्टेज कैरिज सेवा का संचालक है या रहा है; और (iii) ऐसे अन्य मामले जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं: बशर्ते कि, अन्य शर्तें समान होने पर, वरीयता दी जाएगी

से अनुमति के लिए आवेदन

((i) राज्य परिवहन उपक्रम;

((ख) वर्तमान में लागू किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली सहकारी समितियाँ; (
(ग) भूतपूर्व सैनिक; या

((iv) व्यक्तियों का कोई अन्य वर्ग या श्रेणी, जिसके लिए राज्य सरकार,

लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों को आवश्यक माना जाता है।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कंपनी" का अर्थ है कोई भी निगमित निकाय, और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और "निदेशक" का अर्थ है, एक फर्म के संबंध में, फर्म में एक भागीदार।

सभी केरल वितरक ए. एस. एस. एन. , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

राज्य विधानमंडल द्वारा थोड़ी देर बाद बनाए गए कानून की प्रभावकारिता पर विचार करते हुए इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करें। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि तिरस्कार के बारे में तर्क योग्यता से रहित है।

35. जहाँ तक राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित 1976 के अधिनियम का संबंध है, वही सूची II-राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 56 और 57 के लिए उत्तरदायी है। प्रविष्टि 56

यह सड़क या अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर करों से संबंधित है। प्रविष्टि 57, सूची III की प्रविष्टि 35 के प्रावधानों के अधीन ट्रामकारों सहित सड़कों पर उपयोग के लिए उपयुक्त वाहनों पर करों से संबंधित है, चाहे वे यांत्रिक रूप से चलने वाले हों या नहीं। एक अर्थ में, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून सूची III की प्रविष्टि 35 के लिए भी उत्तरदायी है, जिसके तहत संसद पहले ही 1988 अधिनियम अधिनियमित कर चुकी है। हालांकि, के रूप में

उपर्युक्त, संसद द्वारा बनाया गया कानून, जो 1988 का अधिनियम है, वाहन कर लगाने और उसके संग्रह के तरीके के क्षेत्र को नहीं छूता है या उससे संबंधित नहीं है। जबकि, राज्य द्वारा अधिनियमित 1976 का अधिनियम

विधानमंडल केरल राज्य में मोटर वाहनों और ऐसे वाहनों द्वारा ले जाए जाने वाले यात्रियों और वस्तुओं पर कर लगाने से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करेगा। इस अधिनियम की धारा 3 में कर लगाने का उल्लेख किया गया है। धारा 4 कर के भुगतान और लाइसेंस जारी करने से संबंधित है। रिट याचिकाकर्ताओं ने 2005 के अधिनियम 24 के माध्यम से इस प्रावधान में किए गए संशोधन को चुनौती दी है जिसमें उप-धारा (7) और (8) को शामिल किया गया है। इस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 1985 के अधिनियम के तहत योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी मोटर परिवहन उपक्रम के संबंध में मोटर वाहन का कब्जा या नियंत्रण रखने वाला प्रत्येक पंजीकृत मालिक या व्यक्ति, 1976 के अधिनियम के तहत वाहन कर का भुगतान करने से पहले, कराधान अधिकारी के सामने पिछले महीने तक कल्याण निधि के लिए देय योगदान की प्राप्ति की रसीद पेश करेगा और ऐसा करने में विफल रहने पर, 1976 के अधिनियम के तहत वाहन कर एकत्र करने से इनकार करना होगा। इस प्रावधान के संदर्भ में, यह आग्रह किया गया है कि इस तरह का प्रावधान दो अलग-अलग देनदारियों के बूटस्ट्रैपिंग की प्रकृति का है। धारा 85 1 प्रत्येक पंजीकृत मालिक या मोटर वाहन के कब्जे या नियंत्रण वाले व्यक्ति द्वारा बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आदेश देती है। धारा 952 दायित्व को तेज करती है।

51 8. बीमा प्रमाणपत्र का उत्पादन। - प्रत्येक पंजीकृत स्वामी या व्यक्ति जिसके पास

मोटर वाहन का कब्जा या नियंत्रण, कर का भुगतान करते समय, कराधान अधिकारी के समक्ष वाहन के संबंध में बीमा का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (1939 का केंद्रीय अधिनियम 4) के अध्याय VIII की आवश्यकताओं का पालन करते हुए ऐसा भुगतान करते समय वैध है। 52 9. मोटर वाहनों के स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण के लिए सफल व्यक्तियों द्वारा कर के भुगतान के लिए देयता।

(1) यदि किसी मोटर वाहन के संबंध में देय कर उसके भुगतान के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है और ऐसे व्यक्ति ने कर के भुगतान से पहले [2022] 17 एस. सी. आर. स्थानांतरित कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मोटर वाहनों के स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में आने वाले व्यक्ति द्वारा वाहन कर का भुगतान करना। धारा 10 और 11 कुछ प्रासंगिक हैं। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" 10. पुलिस या मोटर वाहनों के अधिकारियों की शक्ति विभाग मोटर वाहनों को रोकेगा।

(1) मोटर वाहन विभाग का कोई भी अधिकारी जो इससे नीचे नहीं है

सहायक मोटर वाहन निरीक्षक या किसी पुलिस अधिकारी का पद

वर्दी में जो उप निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है

किसी भी स्थान पर किसी भी मोटर वाहन के चालक से ऐसे वाहन को रोकने और उसे तब तक स्थिर रखने की अपेक्षा करता है जब तक कि खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उचित रूप से आवश्यक हो कि राशि

ऐसे वाहन का सम्मान किया गया है।
(2) कोई भी व्यक्ति जो उस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के तहत मोटर वाहन को रोकने में विफल रहता है या उसके तहत आवश्यकता पड़ने पर ऐसे किसी अधिकारी का विरोध करता है।

मोटर वाहन को रोकने के लिए उप-धारा, दोषी ठहराए जाने पर,

धारा 16 में दिए गए समान दंड से दंडनीय।

11. मोटर वाहनों की जब्ती और हिरासत लंबित है

कर के प्रेषण का प्रमाण प्रस्तुत करना। - कोई अधिकारी नहीं

अधिकृत सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के पद से नीचे सरकार या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में

उप-निरीक्षक का पद, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि राज्य में कर योग्य मोटर वाहन का उपयोग बिना उपयोग के किया जाता है या रखा जाता है। कर का भुगतान करें, उस वाहन को जब्त करें और हिरासत में लें

उस वाहन की सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था लंबित है

कर के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना।

माना जा सकता है कि इन दोनों प्रावधानों की वैधता नहीं है।

रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा हमला किया गया और ऐसा करने में विफलता का उस दृष्टिकोण पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है जिसे हम लेने का प्रस्ताव करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम अधिनियम की धारा 15 का विज्ञापन भी कर सकते हैं जो इन कार्यवाहियों में चुनौती का विषय है। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

ऐसे वाहन का स्वामित्व या उसके कब्जे का नियंत्रण समाप्त हो गया है, वह व्यक्ति जिसे वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया गया है या वह व्यक्ति जिसके पास ऐसे वाहन का कब्जा या नियंत्रण है, वह उक्त कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। (2) उप-धारा (1) में निहित कुछ भी उस व्यक्ति के उक्त कर का भुगतान करने के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा जिसने स्वामित्व हस्तांतरित किया है या ऐसे वाहन के कब्जे या नियंत्रण में होना बंद कर दिया है।

सभी केरल वितरक ए. एस. एस. एन. , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

भुगतान किया। - मोटर वाहनों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद अधिनियम, 1939 (1939 का केंद्रीय अधिनियम 4) यदि किसी परिवहन वाहन के संबंध में देय कर का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो उस वाहन के लिए परमिट की वैधता उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से उस समय तक अप्रभावी हो जाएगी जब तक कि कर वास्तव में लागू नहीं होता है।

भुगतान किया। "

36. 1976 के अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है कि केरल राज्य में मोटर वाहन और ऐसे वाहन द्वारा ले जाए जाने वाले यात्रियों और वस्तुओं पर कर लगाना विशिष्ट है। यह 1988 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी करने को विनियमित करने वाला कानून नहीं है। निर्विवाद रूप से, प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट को वाहन कर के नियमित भुगतान की शर्त सहित शर्तों के साथ सुरक्षित किया जाता है। धारा 15 में 1976 के अधिनियम की धारा 10 और 11 के अनुरूप कर का भुगतान न करने के परिणामों का प्रावधान है। इस प्रकार समझा जाए तो दोनों प्रावधानों के बीच टकराव का कोई अवसर नहीं है।

37. जहां तक दो अलग-अलग राज्य कानूनों के तहत परमिट धारक की देनदारियों के बूटस्ट्रैपिंग के संबंध में तर्क का संबंध है, यह कम से कम कमजोर है। यह विधानमंडल के लिए खुला है कि वह देय कर के संग्रह के लिए अन्य उद्देश्यों जैसे शिक्षा उपकर आदि के लिए शुल्कों को जोड़ सके और

एक ही करदाता द्वारा देय। यह कहना एक बात है कि व्यक्ति को दो अलग-अलग राज्य अधिनियमों के तहत दायित्व का निर्वहन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हालांकि वह दोनों में से एक के तहत उत्तरदायी नहीं है। यह इन रिट याचिकाकर्ताओं का तर्क नहीं है। याचिकाकर्ता दोनों राज्य अधिनियमों के तहत अपने दायित्व पर विवाद नहीं कर रहे हैं। हालाँकि, तर्क यह है कि रिट याचिकाकर्ता 1985 के अधिनियम के तहत निर्धारित दायित्व के संबंध में अपील और संशोधन का उपाय करने का इरादा रख सकते हैं। इस तर्क को उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 18 में यह कहते हुए सही ढंग से नकार दिया है कि मांग की गई राशि का 50 प्रतिशत भेजकर अपील/संशोधन दायर करने के लिए प्रासंगिक अधिनियम के तहत पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 19 में इस संबंध में निर्देश जारी किए। एक परिपत्र जारी किया गया है।

16.6.2007 पर, यह स्पष्ट करते हुए कि पीड़ित व्यक्ति, जो कल्याण निधि के तहत योगदान के 50 प्रतिशत के भुगतान पर अपील करना पसंद करता है

अधिनियम, उस प्रभाव का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार है और कर अधिकारियों के समक्ष उस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर, प्राधिकरण द्वारा पूरे कल्याण कोष के भुगतान के बिना वाहन कर प्राप्त किया जा सकता है।

योगदान। उच्च न्यायालय पहले ही [2022] 17 एस. सी. आर. का विस्तार करने के निर्देश जारी कर चुका है।

समान लाभ उन मामलों में भी जहां निर्धारित समय के भीतर समीक्षा याचिका दायर की जाती है। तथ्य यह है कि कल्याण कोष के योगदान के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त मांग के खिलाफ 1985 के अधिनियम के तहत उपचार करने का इरादा रखने वाले परमिट धारक के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है।

38. राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित 1985 के अधिनियम की ओर लौटते हुए, निर्विवाद रूप से, यह केरल राज्य में मोटर परिवहन श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक कोष का गठन करने वाला एक कल्याणकारी कानून है। यह अधिनियम सूची III-समवर्ती सूची की प्रविष्टियों 23 और 24 के लिए उत्तरदायी है। प्रविष्टि 23 सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; रोजगार और

बेरोजगारी और प्रविष्टि 24 श्रम के कल्याण से संबंधित है जिसमें काम की शर्तें, भविष्य निधि, नियोक्ता का दायित्व, श्रमिकों का मुआवजा, अयोग्यता और वृद्धावस्था पेंशन और प्रसूति लाभ शामिल हैं। जाहिरा तौर पर, यह प्रतीत हो सकता है कि 1985 के अधिनियम के तहत दायित्वों से उत्पन्न दायित्व का वाहन कर के विषय से कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि, 1985 के अधिनियम को उल्लिखित उद्देश्यों और कारणों के साथ अधिनियमित किया गया है। चूंकि राज्य में निजी क्षेत्र में मोटर परिवहन उद्योग में बड़ी संख्या में कर्मचारी लगे हुए थे, इसलिए सरकार ने निजी क्षेत्र में ऐसे मोटर परिवहन श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक कोष का गठन करना आवश्यक समझा, जो कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में नहीं आते हैं और

विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972। दूसरे शब्दों में, यह अधिनियम केरल राज्य में मोटर परिवहन श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अस्तित्व में आया। नियत समय में, सरकार के ध्यान में आया कि नियोक्ताओं से योगदान के निर्धारण और मूल्यांकन की प्रणाली और 1985 के अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विवादों आदि का न्यायनिर्णयन कुछ निश्चित था -

खामियों के परिणामस्वरूप कल्याण निधि के योगदान का नुकसान होता है। इसमें, बस संचालकों ने योगदान के भुगतान से बचने के लिए फर्जी साझेदारी बनाकर और रिश्तेदारों को कर्मचारियों के रूप में दिखाकर बचाव किया। एक अन्य उपकरण कर्मचारियों को बार-बार बदलते रहना था। इस प्रकार, इस शरारत को रोकने के लिए, 2005 के अधिनियम 23 के माध्यम से 1985 के अधिनियम में एक संशोधन किया गया था, जिसमें योगदान तय करने में मनमानेपन को कम करना शामिल था। मोटर परिवहन श्रमिकों की गतिविधियाँ उस संबंध में 1988 के अधिनियम के तहत जारी परमिट वाले मोटर परिवहन वाहनों के उपयोग और संचालन से सीधे जुड़ी हुई हैं। उक्त अधिनियम के तहत, परमिट धारक यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि वाहन कर का नियमित रूप से भुगतान किया जाए। कानून स्पष्ट रूप से वाहन कर का भुगतान करने में विफलता के लिए मोटर परिवहन वाहन के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान करता है जिसमें परमिट के नवीनीकरण को अस्वीकार करना भी शामिल है।

शर्त सभी केरल वितरक ए. एस. एस. एन. , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

1985 के अधिनियम में यह सुनिश्चित करने की प्रकृति है कि वाहन का मालिक/परमिट धारक दोनों देनदारियों का निर्वहन करता है और इसमें चूक नहीं करता है।

कल्याण कोष में योगदान करने के साथ-साथ समय पर वाहन कर का भुगतान भी करें। वाहन कर का भुगतान न करने पर पुलिस या मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हुए मोटर वाहन को रोकना पड़ सकता है।

1976 के अधिनियम की धारा 10 के तहत अधिनियम की धारा 11 में वर्णित कर के सबूत प्रेषण के उसी लंबित प्रदर्शन को जब्त करना और हिरासत में लेना शामिल है। इसके अतिरिक्त, वाहन के मालिक को धारा 1653 के तहत जुर्माना भुगतना पड़ सकता है और धारा 1754 के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। यदि धारा 15 के आधार पर कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो परमिट अप्रभावी हो जाता है।

39. राज्य विधानों की योजना को ध्यान में रखते हुए, इस तर्क को स्वीकार करना समझ से परे है कि दो प्रावधान (एक ओर 1988 का अधिनियम और दूसरी ओर 1976 का अधिनियम और 1985 का अधिनियम) 53 16. दंड. - जो कोई भी इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह दोषी ठहराए जाने पर, यदि इस अधिनियम या ऐसे उल्लंघन के लिए नियमों में कहीं और कोई अन्य जुर्माना नहीं दिया गया है, तो जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है और ऐसे व्यक्ति के मामले में जो पहले इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है।

54 17. कंपनियों द्वारा अपराध। (1) जहां इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगाः

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी ऐसा नहीं होगा

किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी व्यक्ति यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था। (2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह साबित होता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है या उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

व्याख्याः - इस खंड के प्रयोजन के लिए (क) "कम्पनी" से निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

(ख) "निदेशक", के संबंध में -

((i) फर्म का अर्थ है फर्म में भागीदार। ,
((ख) समाज या व्यक्तियों के अन्य संघ से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे समाज के नियमों के तहत या समाज या अन्य संघ के मामलों के प्रबंधन के साथ अन्य संघ, जैसा भी मामला हो, सौंपा गया है।

40. स्वीकार करते हुए, अपीलकर्ताओं ने 1976 के अधिनियम के तहत लगाए गए वाहन कर का भुगतान करने के साथ-साथ 1985 के अधिनियम के तहत श्रमिक कल्याण कोष में योगदान देने के अपने दायित्व पर विवाद नहीं किया है। इस प्रकार, मोटर परिवहन वाहन मालिकों/परमिट धारकों द्वारा इन अपीलों में वास्तविक शिकायत उन्हें वाहन कर के संग्रह के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में कल्याणकारी योगदान बकाया का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के बारे में है। हमें यह विचार रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस तरह की व्यवस्था को इस रूप में नहीं माना जा सकता है असंवैधानिक है। इसके अलावा, इस तरह की याचिका को किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है जो अन्यथा कल्याण निधि योगदान और वाहन कर दोनों के लिए बकाया का भुगतान करने का दायित्व स्वीकार करता है। यह समझ से परे है कि वाहन के मालिक/परमिट धारक को सुना जा सकता है

यह तर्क देते हुए कि वह 1985 के अधिनियम के तहत बकाया राशि का भुगतान नहीं करेंगे और फिर भी, केरल राज्य में श्रमिकों का शोषण करके मोटर परिवहन के व्यवसाय को इस तर्क पर जारी रखेंगे कि परिवहन वाहन संचालित करने के लिए परमिट की वैधता को राज्य के कानून के तहत बाधित नहीं किया जा सकता है। 1976 के अधिनियम की धारा 15 के रूप में प्रावधान मोटर वाहन को रोकने और वाहन कर के भुगतान के बिना उपयोग या संचालित होने पर उसे जब्त करने और हिरासत में लेने के लिए उसी अधिनियम की धारा 10 और 11 से आने वाले परिणामों को दोहराने की प्रकृति का है। जब अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है, तो अनिवार्य रूप से, जिस परिवहन वाहन के लिए परमिट लिया गया है, वह वाहन कर का भुगतान न करने के कारण अनुपयोगी हो जाता है। कल्याण निधि का भुगतान करने के लिए वाहन के मालिक/परमिट धारक का दायित्व

योगदान के साथ-साथ वाहन कर का भुगतान राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के तहत होता है। इस प्रकार, राज्य विधानमंडल में वाहन कर को स्वीकार करने से पहले बकाया कल्याण निधि योगदान का भुगतान करना अनिवार्य बनाने में कुछ भी गलत नहीं है।

देय और देय। मामले के इस दृष्टिकोण में, 1976 के अधिनियम की धारा 15 की वैधता के संबंध में तर्क पर विस्तार करना अनावश्यक होगा।

1988 के अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद राष्ट्रपति की सहमति की कमी के कारण।

41. हम 1985 के अधिनियम को लागू करने के विधायी इरादे और 2005 में उसमें किए गए संशोधन के बारे में अनजान नहीं हो सकते।

यही सब केरल डिस्ट्रीब्यूटर्स ए. एस. एस. एन. है। , कोट्टायम इकाई, आर. ई. पी. इसकी गोपनीयता द्वारा। वी. केरल राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

1988 के अधिनियम के तहत जारी किए गए परमिट के अनुसार वाहन मालिकों/परमिट धारकों द्वारा किए गए वाणिज्यिक कार्यों के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कल्याण निधि योगदान के भुगतान का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक लाभकारी कानून, और

ऐसे श्रमिक जो आमतौर पर असंगठित होते हैं और अनौपचारिक कार्यबल का हिस्सा होते हैं। न तो 1985 के अधिनियम या 1976 के अधिनियम के प्रावधानों का 1988 के अधिनियम के तहत जारी किए गए परमिट को बाधित करने का प्रभाव है। इन प्रावधानों के पीछे वास्तविक इरादा और उद्देश्य जनादेश को दोहराना है।

1988 के अधिनियम में कहा गया है कि वाहन का उपयोग वैध परमिट और वाहन कर के भुगतान के बिना सड़क पर नहीं किया जा सकता है। 42. एक प्राथमिकता के रूप में, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित 1976 के अधिनियम और 1985 के अधिनियम के प्रावधान हैं:

केवल यह सुनिश्चित करने का इरादा है कि वाहन का मालिक/परमिट धारक राज्य अधिनियमों के तहत देय कल्याण निधि योगदान या वाहन कर दोनों के बकाया में न रहे। ये प्रावधान किसी भी तरह से संसद (1988 अधिनियम) द्वारा बनाए गए कानून के विपरीत नहीं हैं। राज्य अधिनियम 1988 के अधिनियम (केंद्रीय कानून) के तहत जारी किए गए परमिट के संबंध में कोई नया दायित्व या दायित्व पैदा नहीं करते हैं, लेकिन इसमें कल्याण निधि योगदान के साथ-साथ उसी वाहन के मालिक/परमिट धारक द्वारा देय वाहन कर का समय पर संग्रह सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

43. विदा लेते समय, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रिट याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील के माध्यम से मौखिक तर्क के दौरान उचित रूप से स्वीकार किया था कि

2005 संशोधन, इन सभी वर्षों से वे बिना किसी अपवाद के राज्य विधानों के तहत प्रदान की गई व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। इस मायने में चुनौती अकादमिक हो गई है। चाहे जो भी हो, हमने संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल संशोधित प्रावधानों की वैधता के संबंध में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा लिए गए रुख को नकार दिया है।

44. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों को विफल होना चाहिए और उन्हें लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

दिव्या पांडे और अमरेंद्र कुमार

(सहायकः प्रज्ञा सामल, एलसीआरए)